A light blue map of Madhya Pradesh, India, is centered in the background. The map shows the state's outline and its internal district boundaries. Overlaid on the map is the title text in white, bold, uppercase letters.

# **MADHYA PRADESH: THE LAND OF FEMALE INFANTICIDE AND FOETICIDE IN INDIA**



ASIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS



# MADHYA PRADESH: THE LAND OF FEMALE INFANTICIDE AND FOETICIDE IN INDIA



ASIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS



## **Madhya Pradesh: The land of female infanticide and foeticide in India**

### **Published by:**

Asian Centre for Human Rights (ACHR)  
C-3/441-Second Floor, Janakpuri, New Delhi 110058, INDIA  
Tel/Fax: +91 11 25620583, 25503624  
Website: [www.achrweb.org](http://www.achrweb.org)  
Email: [secretariat@achrweb.org](mailto:secretariat@achrweb.org)

**First Published:** September 2016

©Asian Centre for Human Rights

No part of this publication can be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission of the publisher.

**ISBN:** 978-81-88987-67-2

**Suggested contribution:** Rs. 395 /-

**Acknowledgement:** This report is being published as a part of the ACHR's "National Campaign for elimination of female foeticide in India", a project funded by the European Commission under the European Instrument for Human Rights and Democracy – the European Union's programme that aims to promote and support human rights and democracy worldwide. The views expressed are of the Asian Centre for Human Rights, and not of the European Commission.



# CONTENTS

---

<b>1. Executive summary and recommendations.....</b>	<b>1</b>
<b>2. The state of female infanticide and female foeticide in Madhya Pradesh.....</b>	<b>5</b>
2.1 The scale of female infanticide in Madhya Pradesh .....	5
2.2 The scale of foeticide in Madhya Pradesh .....	7
2.3 Child sex ratio in Madhya Pradesh .....	11
2.4 Implementation of the PC&PNDT Act .....	15
2.5 Implementation of the MTP Act.....	19
<b>3. Ladli Laxmi Yojana (LLY) .....</b>	<b>22</b>
3.1. Objectives of the scheme .....	22
3.2. Eligibility conditions .....	22
3.3. Process of application and documents required for registration under the LLY .....	23
3.4. Benefits under the LLY and modalities for disbursal of the benefits .....	23
3.5. Assessment of performance of the Ladli Laxmi Yojana .....	25
<b>4. Conclusion: LLY failed to improve CSR in Madhya Pradesh.....</b>	<b>30</b>
<b>Annexure-I: Laadli Scheme .....</b>	<b>32</b>
<b>Annexure-II: Revised LLY-FAQ.....</b>	<b>45</b>
<b>Annexure-III: LLY Revised guidelines .....</b>	<b>51</b>
<b>Annexure-IV: Ladli Laxmi Fund.....</b>	<b>64</b>



# I. EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS

---

India is infamous for female foeticide and female infanticide, the crudest forms of gender based violence. The reasons for the same are well-known: *“son preference and the belief that it is only the son who can perform the last rites, that lineage and inheritance runs through the male line, sons will look after parents in old age, men are the bread winners, exorbitant dowry demand is another reason for female foeticide/infanticide”*.<sup>1</sup>

Madhya Pradesh has been leading the States in female foeticide and female infanticide in India.

The National Crime Records Bureau (NCRB) of India recorded a total of 2,266 cases of infanticide across the country during 1994-2014.<sup>2</sup> Out of these, Madhya Pradesh topped with 537 cases or 24% of all the cases of female infanticide registered in India, followed by Uttar Pradesh with 395 cases and Maharashtra with 286 cases, among others.<sup>3</sup>

The NCRB also recorded 1,663 cases of foeticide in the last 15 years from 2001 to 2015. Once again, Madhya Pradesh topped with 360 cases followed by Rajasthan (255), Punjab (239), Maharashtra (155), Chhattisgarh (135), Haryana (131), Uttar Pradesh (93), Delhi (69), Karnataka (60), Gujarat (52), Andhra Pradesh (30), Himachal Pradesh (25), Bihar and Jharkhand (10 each), Odisha (6), Kerala, West Bengal and Andaman and Nicobar Islands (5 each), Jammu and Kashmir, Sikkim and Telangana (4 each), Assam (2), and Tamil Nadu, Uttarakhand, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli (1 each).<sup>4</sup>

---

1. Statement of Shri Ghulam Nabi Azad, Union Minister for Health and Family Welfare in Rajya Sabha on 11 February 2014, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=103437>

2. Crime in India report series 1994 to 2014, National Crime Records Bureau, available at: <http://ncrb.gov.in/>

3. Statewise data for two years 1998 and 2000 is not available and hence not included in the total in States of Madhya Pradesh, Maharashtra and Uttar Pradesh

4. See NCRB's Crime in India report series from 2001 to 2015

The enforcement of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (PC&PNDT) remains extremely poor in Madhya Pradesh. Only 2 convictions were secured in Madhya Pradesh from 1994 to September 2014<sup>5</sup> while 15 cases were pending in courts as of September 2014. Further, only 2 licenses were suspended while only 13 ultra sonography machines were seized or sealed from 1994 to September 2014.<sup>6</sup> The laxity on the part of the key officials of the State Government of Madhya Pradesh has reached such a proportion that on 15 September 2014, the Chief Judicial Magistrate Court, Gwalior had to order registration of a case against Madhya Pradesh's Chief Health Secretary Praveer Krishna, Principal Secretary Suraj Damor and suspension of Health Director Dr. Ashok Sharma for violating the PC&PNDT Act for not holding meetings of the State Supervisory Board.<sup>7</sup>

The Ladli Laxmi Yojana (LLY) launched by Madhya Pradesh Government in 2007, among others, to improve child sex ratio received a lot of attention. As of 11 May 2015, 20 lakh girls were reportedly given benefits under the LLY since its launch in 2007. Six<sup>8</sup> of seven states<sup>9</sup> which emulated the LLY are Uttar Pradesh, Bihar, Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand and Goa.<sup>10</sup> As of 16 December 2014, more than Rs 4,500 crore had been deposited in bank accounts of over 18.62 lakh girls under the LLY aimed at protecting the future of the girls and increasing their population in the state.<sup>11</sup>

- 
5. Effective Implementation of PNDT Act, Press Information Bureau, Government of India (Ministry of Health and Family Welfare), 3 March 2015, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=116303>
  6. See Annexure as referred to reply to part (a) of Lok Sabha Unstarred Question No. 799 for answer on 27.02.2015
  7. Case filed against chief health secretary on violating female foeticide law in Madhya Pradesh, Daily Bhaskar, 16 September 2014; Available at: <http://daily.bhaskar.com/news/MP-BHO-case-filed-against-chief-health-secretary-on-violating-female-foeticide-law-in-ma-4746230-NOR.html>
  8. . Available at: <http://news.webindia123.com/news/articles/India/20120826/2051626.html>
  9. MP CM launches e-Ladli scheme, Times of India, 11 May 2015; Available at: <http://timesofindia.indiatimes.com/good-governance/madhya-pradesh/MP-CM-launches-e-Ladli-scheme/articleshow/47238023.cms>
  10. . Available at: <http://news.webindia123.com/news/articles/India/20120826/2051626.html>
  11. Over 18 lakh girls have benefitted from Ladli scheme in MP, Zee News, 17 December 2014; Available at: [http://zeenews.india.com/news/madhya-pradesh/over-18-lakh-girls-have-benefitted-from-ladli-scheme-in-mp\\_1516428.html](http://zeenews.india.com/news/madhya-pradesh/over-18-lakh-girls-have-benefitted-from-ladli-scheme-in-mp_1516428.html)

The Comptroller and Auditor General (CAG) after an audit of the implementation of the LLY scheme in its report placed before the State Assembly on 22.07.2014 held that the benefits under the scheme accrued to the eligible targeted girl children and the operational controls as well as monitoring of the scheme implementation were adequate. The review was conducted for the period 2010-13 by test check of records in 127 Project Offices (PO) covering 7,508 Anganwadi Centres (AWCs) in 15 districts out of 453 POs having 80,160 AWCs in the State. Out of total expenditure of Rs 1900.27 crore incurred on the Scheme during the period 2010-13 in the State, expenditure of Rs 638.16 crore (34 per cent) was covered in audit. The CAG audit pointed out the following problems in the implementation of the LLY: (i) improper maintenance of record of selection of the beneficiaries; (ii) National Saving Certificates (NSCs) issued without ascertaining eligibility of beneficiaries; (iii) non-cancellation of NSCs in case of death of beneficiaries; (iv) delay in issue of subsequent NSCs to the beneficiaries; (v) more than 5 NSCs issued to some beneficiaries; (vi) benefits given to second girl child without ascertaining fulfillment of eligibility; (vii) lack of monitoring and supervision; and (viii) funds earmarked for publicity of the scheme remained unspent.<sup>12</sup>

The statistics collected for the Annual Health Survey (AHS) in Madhya Pradesh, one of the nine States with relatively high fertility and mortality account are not encouraging. As per the sample survey which claims to be the largest demographic survey in the world, the Sex Ratio at Birth (SRB) was respectively 904 during 2011-2012 and 905 during 2012-2013<sup>13</sup>. The SRB is far lower than the Child Sex Ratio (CSR) of 918 girls per 1,000 boys as per 2011 Census. If the existing under-five mortality rate (U5MR) of 48 deaths

---

12. Report of the Comptroller and Auditor General of India on General and Social (Non-PSUs) Sectors for the year ended 31 March 2013 (Government of Madhya Pradesh Report No.3 of the year 2014); available at: [http://www.saiindia.gov.in/sites/default/files/audit\\_report\\_files/Madhya\\_Pradesh\\_Report\\_3\\_2014.pdf](http://www.saiindia.gov.in/sites/default/files/audit_report_files/Madhya_Pradesh_Report_3_2014.pdf)

13. Available at: Annual Health Survey 2012-13 FACT SHEET; Available at: [http://www.censusindia.gov.in/vital\\_statistics/AHSBulletins/AHS\\_Factsheets\\_2011\\_12/MP\\_Factsheet\\_2011-12.pdf](http://www.censusindia.gov.in/vital_statistics/AHSBulletins/AHS_Factsheets_2011_12/MP_Factsheet_2011-12.pdf) and Annual Health Survey 2012-13 FACT SHEET; Available at: [http://www.censusindia.gov.in/vital\\_statistics/AHSBulletins/AHS\\_Factsheets\\_2012-13/FACTSHEET-MP.pdf](http://www.censusindia.gov.in/vital_statistics/AHSBulletins/AHS_Factsheets_2012-13/FACTSHEET-MP.pdf)



per 1,000 births<sup>14</sup> in India is applied in Madhya Pradesh context, the CSR would fall to 856 during 2011-2012 and to 857 during 2012-2013 which is far below CSR of 918 as per 2011. Though the figures of the AHS are only indicative, they indicate no improvement of the CSR in Madhya Pradesh.

There is no doubt that any programme that seeks to ensure retention of female foetuses ought to address the burden of marriage.

Asian Centre for Human Rights recommends the following to the State Government of Madhya Pradesh:

- Revise *Ladli Laxmi Yojana* to increase the amount for post birth benefits and scholarship and further additional financial assistance for marriage to be paid to surviving girls;
- Expand the coverage to include families irrespective of income;
- Should be provided to all girl child and not up to two daughters only;
- Undertake specific programme for increasing coverage of all families under the *Ladli Laxmi Yojana* scheme by connecting the programme with all hospitals;
- Update the website <http://www.ladlilaxmi.com/> regularly and provide all relevant information such as list of beneficiaries, funds sanctioned and utilization certificates; and
- Undertake effective measures to monitor and ensure proper implementation of the PC&PNDT Act and the Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act.

---

14. 20% of world's under-5 deaths occur in India, The Times of India, 9 September 2015 available at <http://timesofindia.indiatimes.com/india/20-of-worlds-under-5-deaths-occur-in-India/articleshow/48878224.cms>

## 2. THE STATE OF FEMALE INFANTICIDE AND FEMALE FOETICIDE IN MADHYA PRADESH

---

India is infamous for female foeticide and female infanticide, the crudest forms of gender based violence. The reasons are known: *“son preference and the belief that it is only the son who can perform the last rites, that lineage and inheritance runs through the male line, sons will look after parents in old age, men are the bread winners, exorbitant dowry demand is another reason for female foeticide/infanticide”*.<sup>15</sup>

### 2.1 The scale of female infanticide in Madhya Pradesh

Prior to the invention of technology, female infanticide was widespread in India. Section 315<sup>16</sup> and Section 316<sup>17</sup> of the Indian Penal Code criminalised female infanticide.

As per the National Crime Records Bureau (NCRB) under the Ministry of Home Affairs, Government of India from 1994-2014, a total of 2,266 cases of infanticide were recorded i.e. 131 case in 1994, 139 in 1995, 113 in 1996, 107 in 1997, 114 in 1998, 87 in 1999, 104 in 2000, 133 in 2001, 115 in 2002, 103 in 2003, 102 in 2004, 108 in 2005, 126 in 2006, 134 in 2007, 140 in 2008, 63 in 2009, 100 in 2010, 63 in 2011, 81 in 2012, 82 in 2013 and 121 in 2014.<sup>18</sup>

---

15. Statement of Shri Ghulam Nabi Azad, Union Minister for Health and Family Welfare in Rajya Sabha on 11 February 2014, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=103437>

16. Section 315. Act done with intent to prevent child being born alive or to cause it to die after birth, “Whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive or causing it to die after its birth, and does by such act prevent that child from being born alive, or causes it to die after its birth, shall, if such act be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the mother, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, or with fine, or with both.

17. Section 316. Causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide, “Whoever does any act under such circumstances, that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide, and does by such act cause the death of a quick unborn child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.”

18. Crime in India report series 1994 to 2014, National Crime Records Bureau, available at: <http://ncrb.gov.in/>

Madhya Pradesh topped with 537 cases or 24% of all the cases of female infanticide registered in India, followed by Uttar Pradesh with 395 and Maharashtra with 286, among others.<sup>19</sup>

There are regular reports of female infanticide in Madhya Pradesh.

On 15 July 2016 night passersby spotted passengers in a car throwing a baby girl in an agriculture field at Sanawad in Khargone district, leading to her gruesome death while next day i.e. 16 July 2016, onlookers found stray dogs feeding on a newborn baby girl under Mortakka police station area in East Nimar district of Madhya Pradesh. Mortakka police station in-charge J.S. Scindia confirmed the incident to the press.<sup>20</sup>

In another incident on 16 July 2016, a woman, resident of Kaidi village under Balaghat district, killed her 26-day-old girl by drowning her in water. Police have arrested the woman identified as Namita, who confessed to her crime on interrogation.<sup>21</sup>

On 5 March 2014, a passerby spotted a new born girl stuck in the bushes along the river side in Morena district of Madhya Pradesh. He rescued the baby girl, took her to hospital and also adopted her. Police suspected someone had thrown the new born baby girl into the river with the intention of getting rid of her but fortunately she got stuck in the bushes alongside the river and later spotted by the passerby. An FIR has been registered against unknown persons.<sup>22</sup>

---

19. Statewise data for two years 1998 and 2000 is not available and hence not included in the total in States of Madhya Pradesh, Maharashtra and Uttar Pradesh

20. One newborn drowned, another fed to stray dogs in Madhya Pradesh, Deccan Chronicle, 31 July 2016; Available at: <http://www.deccanchronicle.com/nation/crime/310716/one-newborn-drowned-another-fed-to-stray-dogs-in-madhya-pradesh.html>

21. One newborn drowned, another fed to stray dogs in Madhya Pradesh, Deccan Chronicle, 31 July 2016; Available at: <http://www.deccanchronicle.com/nation/crime/310716/one-newborn-drowned-another-fed-to-stray-dogs-in-madhya-pradesh.html>

22. Miracle in Morena: Newborn baby girl thrown into river, survives, 07 March 2014; Available at: <http://english.pradesh18.com/news/bihar/morena-at-its-worst-newborn-baby-girl-thrown-into-river-escapes-miraculously-383769.html>

On 29 June 2013, two locals found a one-day-old baby girl found buried alive in Mandleshwar forest in the outskirts of Indore city in Khargone district of Madhya Pradesh. The infant, whose condition was critical, died of injuries at a local hospital.<sup>23</sup> The baby was just one day old when she was found wrapped in a cloth and half buried under earth. She was rushed to a local government hospital with heavy bleeding from her nose and mouth but died the following day due to the injuries.<sup>24</sup> Police registered a case and investigated the case.<sup>25</sup>

In February 2007, police recovered 390 pieces of bones of newly born babies or foetuses from the backyard of Christian Medical Hospital in Ratlam in Madhya Pradesh.<sup>26</sup>

## **2.2 The scale of foeticide in Madhya Pradesh**

According to NCRB, 1,663 cases of foeticide were reported across India in the last 15 years from 2001 to 2015. These included 55 cases in 2001, 84 cases in 2002, 57 cases in 2003, 86 cases in 2004, 86 cases in 2005, 125 cases in 2006, 96 cases in 2007, 73 cases in 2008, 123 cases in 2009, 111 cases in 2010, 132 cases in 2011, 210 cases in 2012, 221 cases in 2013, 107 cases in 2014, and 97 cases in 2015. Among the States, Madhya Pradesh topped with 360 cases followed by Rajasthan (255), Punjab (239), Maharashtra (155), Chhattisgarh (135), Haryana (131), Uttar Pradesh (93), Delhi (69), Karnataka (60), Gujarat (52), Andhra Pradesh (30), Himachal Pradesh (25), Bihar and Jharkhand (10 each), Odisha (6), Kerala, West Bengal and Andaman and Nicobar Islands (5 each), Jammu and Kashmir, Sikkim and Telangana (4 each), Assam (2), and Tamil Nadu, Uttarakhand, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli (1 each).<sup>27</sup>

23. Newborn girl found buried alive in MP forest, dies at hospital, India Today, 5 July 2013; Available at: <http://indiatoday.intoday.in/story/female-foeticide-girl-found-buried-alive-mandleshwar-forest/1/286982.html>

24. Newborn baby girl found buried alive in Indian forest in ANOTHER tragic case of female infanticide, The Daily Mail, 4 July 2013; Available at: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2356252/Newborn-baby-girl-buried-alive-Indian-forest-ANOTHER-case-female-infanticide.html#ixzz4LdFCjt1M>

25. Newborn girl found buried alive in MP forest, dies at hospital, India Today, 5 July 2013; Available at: <http://indiatoday.intoday.in/story/female-foeticide-girl-found-buried-alive-mandleshwar-forest/1/286982.html>

26. Indian police find baby bones in hospital yard, 18 February 2007; Available at: <http://www.reuters.com/article/idU5SP334521>

27. See NCRB's Crime in India report series from 2001 to 2015

**Table 1: Number of foeticide cases recorded by the NCRB**

States	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Andhra Pradesh	0	0	0	0	1	5	0	2	6	1	7	1	7	0	0	30
Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assam	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Bihar	0	1	0	1	0	0	0	0	5	0	1	1	1	0	0	10
Chhattisgarh	5	0	6	6	21	5	10	9	7	9	21	5	15	5	11	135
Goa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gujarat	4	9	4	0	4	6	1	1	3	10	0	7	2	0	1	52
Haryana	3	6	2	15	8	9	4	5	3	2	5	28	21	6	14	131
Himachal Pradesh	0	6	0	2	1	5	1	2	1	0	0	0	2	4	1	25
Jammu & Kashmir	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4
Jharkhand	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	4	1	1	10
Karnataka	1	7	0	4	7	13	7	5	7	4	1	3	0	0	1	60
Kerala	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5
Madhya Pradesh	7	4	11	9	12	14	10	8	39	18	38	64	79	30	17	360
Maharashtra	17	10	5	15	4	10	1	2	17	5	12	22	17	7	11	155
Manipur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meghalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mizoram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagaland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odisha	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	6
Punjab	7	10	11	8	12	22	35	24	23	15	15	25	12	10	10	239
Rajasthan	8	6	12	17	10	25	16	10	12	18	13	37	34	24	13	255
Sikkim	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4
Tamil Nadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Telangana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
Tripura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uttar Pradesh	1	1	3	2	0	2	1	2	0	18	12	11	17	11	12	93
Uttarakhand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
West Bengal	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	5
A&N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	5
Chandigarh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
D&N Haveli	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delhi	2	20	2	4	3	7	4	2	0	7	5	2	3	5	3	69
Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puducherry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	55	84	57	86	86	125	96	73	123	111	132	210	221	107	97	1663

Although, the NCRB has been collecting data on foeticide over the years, it started collecting data on female foeticide only from 2014. It recorded 39 cases of female foeticide in 2015 and 50 cases in 2014 across India. The State/UT-wise data relating to female foeticide is given in the table below:<sup>28</sup>

**Table 2: Number of female foeticide cases recorded by NCRB**

Sl. No.	States/UTs	Cases registered		
		2014	2015	Total
1	Andhra Pradesh	0	0	0
2	Arunachal Pradesh	0	0	0
3	Assam	0	0	0
4	Bihar	0	0	0
5	Chhattisgarh	2	3	5
6	Goa	0	0	0
7	Gujarat	0	0	0
8	Haryana	4	2	6
9	Himachal Pradesh	3	0	3
10	Jammu & Kashmir	0	0	0
11	Jharkhand	0	0	0
12	Karnataka	0	1	1
13	Kerala	0	0	0
14	Madhya Pradesh	15	8	23
15	Maharashtra	1	9	10

28. Statement of J P Nadda, Minister of Health and Family Welfare, Government of India in the Lok Sabha on 11.12. 2015, <http://164.100.47.192/Loksabha/Questions/QResult15.aspx?qref=26479&lno=16>

16	Manipur	0	0	0
17	Meghalaya	0	0	0
18	Mizoram	0	0	0
19	Nagaland	0	0	0
20	Odisha	0	0	0
21	Punjab	7	2	9
22	Rajasthan	11	1	12
23	Sikkim	0	0	0
24	Tamil Nadu	0	1	1
25	Telangana	2	6	8
26	Tripura	0	0	0
27	Uttar Pradesh	4	5	9
28	Uttarakhand	1	0	1
29	West Bengal	0	N/A	0
30	Andaman & Nicobar Islands	0	0	0
31	Chandigarh	0	0	0
32	Dadra Nagar Haveli	0	0	0
33	Daman & Diu	0	0	0
34	Delhi	0	1	1
35	Lakshadweep	0	0	0
36	Puducherry	0	0	0
	Total	50	39	89

In two years from 2014 to 2015, the NCRB recorded 89 cases of female foeticide across India. Madhya Pradesh topped in female foeticide with 23 cases, followed by Rajasthan (12), Maharashtra (10), Punjab and Uttar Pradesh (9 each), Telengana (8), Haryana (6), Chhattisgarh (5), Himachal Pradesh (3), Karnataka, Tamil Nadu, Uttarakhand and Delhi (1 each). As per Census 2011, three states with most adverse child sex ratios namely Punjab, Haryana and Jammu & Kashmir had reported 9, 6 and 0 cases respectively.

### 2.3 Child sex ratio in Madhya Pradesh

Child Sex Ratio (CSR) is defined as the number of females per 1000 males in the age group 0-6 years.<sup>29</sup> In Madhya Pradesh the CSR has consistently been declining from 921 in 1981 to 941 in 1991, 932 in 2001 and 918 in 2011.<sup>30</sup>

**Table 3: District-wise CSR of Madhya Pradesh as per 2011 census**

Child Sex Ratio in Madhya Pradesh districts: 2001-2011 <sup>1</sup>					
Sl. No.	District/State	Census 2001	Census 2011	Change in points (-/+)	Ranking as per 2011 Census CSR
Madhya Pradesh		932	918	-14	
01	Morena	837	829	-8	1 <sup>st</sup>
02	Gwalior	853	840	-13	2 <sup>nd</sup>
03	Bhindi	832	843	+11	3 <sup>rd</sup>
04	Datia	874	856	-18	4 <sup>th</sup>
05	Rewa	926	885	-41	5 <sup>th</sup>
06	Tikamgarh	916	892	-24	6 <sup>th</sup>
07	Shivpuri	907	893	-14	7 <sup>th</sup>
08	Sheopur	929	897	-32	8 <sup>th</sup>
09	Chhattarpur	917	900	-17	9 <sup>th</sup>
10	Indore	908	901	-7	10 <sup>th</sup>
11	Satna	931	910	-21	11 <sup>th</sup>
12	Narshimhapur	917	911	-6	12 <sup>th</sup>
13	Guna	890	912	+22	13 <sup>th</sup>
14	Sehore	927	912	-15	14 <sup>th</sup>
15	Sidhi	952	914	-38	15 <sup>th</sup>
16	Panna	932	914	-18	16 <sup>th</sup>
17	Dewas	930	918	-12	17 <sup>th</sup>

29. Skewed child sex ratio a cause of worry, The Times of India, 26 March 2013 (online), <http://timesofindia.indiatimes.com/city/allahabad/Skewed-child-sex-ratio-a-cause-of-worry/articleshow/19216826.cms>

30. Available at: [http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data\\_files/mp/06Gender%20Composition.pdf](http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/mp/06Gender%20Composition.pdf)



18	Hoshangabad	927	919	-8	18 <sup>th</sup>
19	Rajgarh	938	920	-18	19 <sup>th</sup>
20	Shajapur	936	920	-16	20 <sup>th</sup>
21	Bhopal	925	920	-5	21 <sup>st</sup>
22	Ashoknagar	932	921	-11	22 <sup>nd</sup>
13	Singrauli	955	923	-32	23 <sup>rd</sup>
24	Jabalpur	931	923	-8	24 <sup>th</sup>
25	Burhanpur	934	924	-10	25 <sup>th</sup>
26	Sagar	931	925	-6	26 <sup>th</sup>
27	Vidisha	943	926	-17	27 <sup>th</sup>
28	Mandsaur	946	927	-19	28 <sup>th</sup>
29	Neemuch	931	927	-4	29 <sup>th</sup>
30	Dhar	943	928	-15	30 <sup>th</sup>
31	Damoh	935	928	-7	31 <sup>st</sup>
32	Harda	925	928	+3	32 <sup>nd</sup>
33	Ujjain	938	930	-8	33 <sup>rd</sup>
34	East Nimar	946	932	-14	34 <sup>th</sup>
35	Raisen	936	932	-4	35 <sup>th</sup>
36	West Nimar	962	938	-24	36 <sup>th</sup>
37	Ratlam	957	939	-18	37 <sup>th</sup>
38	Katni	952	939	-13	38 <sup>th</sup>
39	Jhabua	967	943	-24	39 <sup>th</sup>
40	Umariya	959	943	-16	40 <sup>th</sup>
41	Barwani	970	948	-22	41 <sup>st</sup>
42	Anuppur	977	950	-20	42 <sup>nd</sup>
43	Sahdol	969	950	-19	43 <sup>rd</sup>
44	Seoni	977	953	-24	44 <sup>th</sup>
45	Chhindwara	958	956	-2	45 <sup>th</sup>
46	Betul	969	957	-12	46 <sup>th</sup>
47	Balaghat	968	967	-1	47 <sup>th</sup>
48	Dindori	990	970	-20	48 <sup>th</sup>
49	Mandla	981	970	-11	49 <sup>th</sup>
50	Alirajpur	982	978	-4	50 <sup>th</sup>

Madhya Pradesh has the 14<sup>th</sup> lowest CSR among 35 States and UTs of India.<sup>31</sup> As per 2011 Census, CSR in India is 919 girls per 1000 boys.<sup>32</sup> CSR in Madhya Pradesh is 918, one point lower than the national CSR. Madhya Pradesh recorded drastic decline in the CSR from 1981 Census which recorded 977 girls per 1000 boys. As per 1991 Census, it declined to 941 girls per 1000 boys while the 2001 Census recorded 932 girls per 1000 boys. As per 2011 Census it declined to 918.<sup>33</sup>

Out of 50 districts, 16 districts recorded CSR below state average CSR of 918. With exception of Guna, Bhindi and Harda districts all the rest 47 districts witnessed sharp decline in CSR from Census 2001 to Census 2011. Guna district recorded impressive improvement of 22 points from 890 girls per 1000 boys in 2001 to 912 girls per 1000 boys in 2011 while Bhindi district recorded good improvement of 11 points from 832 girls per 1000 boys in 2001 to 843 girls per 1000 boys in 2011 and Harda district recorded only marginal increase of 3 points from 925 girls per 1000 boys in 2001 to 928 girls per 1000 boys in 2011.<sup>34</sup>

Among 47 districts that recorded lowest CSR in 2011 Census were Morena district with 829 girls per 1000 boys, followed by Gwalior (840), Datia (856), Rewa (885), Tikamgarh (892), Shivpuri (893), Sheopur (897), Chhattarpur (900), Indore (901), Satna (910), Narshimhapur (911), Sehore (912), Sidhi (914), Panna (914), Dewas (918), Hoshangabad (919), Rajgarh (920), Shajapur (920), Bhopal (920), Ashoknagar (921), Singrauli (923), Jabalpur (923), Burhanpur (924), Sagar (925), Vidisha (926), Mandsaur (927), Neemuch (927), Dhar (928), Damoh (928), Ujjain (930), East Nimar (932), Raisen (932), West Nimar (938), Ratlam (939), Katni (939), Jhabua (943), Umaria (943), Barwani (948), Anuppur (950), Sahdol (950), Seoni (953), Chhindwara (956), Betul (957), Balaghat (967), Dindori (970), Mandla (970), and finally followed by Alirajpur (978).<sup>35</sup>

---

31. Census 2011, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=103437>

32. See <http://www.census2011.co.in/sexratio.php>

33. Available at: <http://pib.nic.in/newsite/erelcontent.aspx?relid=71711>

34. Census 2011: <http://www.census2011.co.in/census/state/districtlist/madhya+pradesh.html>

35. Census 2011: <http://www.census2011.co.in/census/state/districtlist/madhya+pradesh.html>

**Table 4: Ranking of the districts as per 2011 census (CSR) and Annual Health Survey 2011-12 and 2012-13 (SRB)**

Ranking of the district	Name of the district	CSR as per 2011 census	Name of the district	SRB 2011 -12 AHS <sup>2</sup>	Name of the district	SRB 2012 -13 AHS <sup>3</sup>
1 <sup>st</sup>	Morena	829	Gwalior	802	Gwalior	804
2 <sup>nd</sup>	Gwalior	840	Jabalpur	832	Jabalpur	821
3 <sup>rd</sup>	Bhindi	843	Datia	839	Datia	841
4 <sup>th</sup>	Datia	856	Morena	855	Morena	855
5 <sup>th</sup>	Rewa	885	Guna	856	Guna	856
6 <sup>th</sup>	Tikamgarh	892	Betul	861	Betul	863
7 <sup>th</sup>	Shivpuri	893	Sagar	863	Indore	871
8 <sup>th</sup>	Sheopur	897	Indore	871	Narsimhapur	875
9 <sup>th</sup>	Chhattarpur	900	West Nimar	873	West Nimar	875
10 <sup>th</sup>	Indore	901	Narsimhapur	877	Bhind	880
11 <sup>th</sup>	Satna	910	Bhind	879	Shajapur	886
12 <sup>th</sup>	Narsimhapur	911	Ratlam	886	Ratlam	887
13 <sup>th</sup>	Guna	912	Shajapur	888	Tikamgarh	892
14 <sup>th</sup>	Sehore	912	Tikamgarh	890	Rajgarh	896
15 <sup>th</sup>	Sidhi	914	Chhatarpur	892	Satna	897
16 <sup>th</sup>	Panna	914	Rajgarh	894	Sagar	898
17 <sup>th</sup>	Dewas	918	East Nimar	896	East Nimar	898
18 <sup>th</sup>	Hoshangabad	919	Vidisha	901	Chhatarpur	899
19 <sup>th</sup>	Rajgarh	920	Shivpuri	901	Shivpuri	901
20 <sup>th</sup>	Shajapur	920	Hoshangabad	903	Mandsaur	902
21 <sup>st</sup>	Bhopal	920	Dewas	907	Hoshangabad	902
22 <sup>nd</sup>	Ashoknagar	921	Chhindwara	908	Dewas	909
23 <sup>rd</sup>	Singrauli	923	Satna	908	Chhindwara	909
24 <sup>th</sup>	Jabalpur	923	Sehore	913	Sehore	910
25 <sup>th</sup>	Burhanpur	924	Mandsaur	913	Sidhi	911
26 <sup>th</sup>	Sagar	925	Bhopal	915	Vidisha	915
27 <sup>th</sup>	Vidisha	926	Harda	920	Bhopal	916
28 <sup>th</sup>	Mandsaur	927	Sidhi	921	Harda	923
29 <sup>th</sup>	Neemuch	927	Raisen	923	Ujjain	929
30 <sup>th</sup>	Dhar	928	Ujjain	926	Umaria	929
31 <sup>st</sup>	Damoh	928	Damoh	927	Seoni	930
32 <sup>nd</sup>	Harda	928	Umaria	930	Jhabua	935
33 <sup>rd</sup>	Ujjain	930	Seoni	931	Neemuch	935
34 <sup>th</sup>	East Nimar	932	Neemuch	933	Damoh	937
35 <sup>th</sup>	Raisen	932	Panna	942	Dhar	943
36 <sup>th</sup>	West Nimar	938	Dhar	944	Shahdol	945
37 <sup>th</sup>	Ratlam	939	Jhabua	948	Raisen	949

38 <sup>th</sup>	Katni	939	Barwani	959	Rewa	957
39 <sup>th</sup>	Jhabua	943	Shahdol	962	Panna	959
40 <sup>th</sup>	Umariya	943	Rewa	966	Barwani	961
41 <sup>st</sup>	Barwani	948	Katni	972	Katni	967
42 <sup>nd</sup>	Anuppur	950	Balaghat	975	Balaghat	968
43 <sup>rd</sup>	Sahdol	950	Sheopur	978	Sheopur	981
44 <sup>th</sup>	Soni	953	Mandla	996	Mandla	992
45 <sup>th</sup>	Chhindwara	956	Dindori	1010	Dindori	1003
46 <sup>th</sup>	Betul	957				
47 <sup>th</sup>	Balaghat	967				
48 <sup>th</sup>	Dindori	970				
49 <sup>th</sup>	Mandla	970				
50 <sup>th</sup>	Alirajpur	978				
State Total		918		904		905

The statistics collected for the Annual Health Survey in Madhya Pradesh, one of the 9 high focus States with relatively high fertility and mortality account are not encouraging. As per the sample survey which claims to be the largest demographic survey in the world, the Sex Ratio at Birth (SRB) was respectively 904 in 2011-2012 and 905 during 2012-2013<sup>36</sup>. If the existing of under-five mortality rate (U5MR) of 48 deaths per 1,000 births<sup>37</sup> in India is applied in Madhya Pradesh context, the Child Sex Ratio (CSR) of 918 as per 2011 Census will further reduce to little over 900 females per thousand males. Though the figures of the AHS are only indicative, it indicates that there is no improvement of the CSR in Madhya Pradesh.

## 2.4 Implementation of the PC&PNDT Act

India enacted the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (PNDT Act) to address sex selective abortion. The PNDT Act has since been amended to make it more comprehensive and

36. Available at: Annual Health Survey 2012-13 FACT SHEET; Available at: [http://www.censusindia.gov.in/vital\\_statistics/AHSBulletins/AHS\\_Factsheets\\_2011\\_12/MP\\_Factsheet\\_2011-12.pdf](http://www.censusindia.gov.in/vital_statistics/AHSBulletins/AHS_Factsheets_2011_12/MP_Factsheet_2011-12.pdf) and Annual Health Survey 2012-13 FACT SHEET; Available at: [http://www.censusindia.gov.in/vital\\_statistics/AHSBulletins/AHS\\_Factsheets\\_2012-13/FACTSHEET-MP.pdf](http://www.censusindia.gov.in/vital_statistics/AHSBulletins/AHS_Factsheets_2012-13/FACTSHEET-MP.pdf)

37. 20% of world's under-5 deaths occur in India, The Times of India, 9 September 2015 available at <http://timesofindia.indiatimes.com/india/20-of-worlds-under-5-deaths-occur-in-India/articleshow/48878224.cms>

keeping in view the emerging technologies for selection of sex before and after conception and problems faced in the working of implementation of the Act and certain directions of Supreme Court. The amended Act came into force with effect from 14 February 2003 and it was renamed as “Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994” (PC&PNDT Act).

The PC&PNDT Act, as amended in 2003 provides for regulation and punishment. Section 3 of the PC&PNDT Act provides for regulation of Genetic Counselling Centres, Genetic Laboratories and Genetic clinics through the requirement of registration under the Act, prohibition of sex selection and sale of ultrasound machines to persons, laboratories, clinics, etc. not registered under the Act. Section 4 provides that no such place shall be used for conducting pre-natal diagnostic techniques except for the purposes specified and requires a person conducting such techniques such as ultrasound sonography on pregnant women to keep a complete record in the manner prescribed in the Rules. Section 5 requires written consent of pregnant woman for conducting the pre-natal diagnostic procedures and prohibits communicating the sex of foetus. Section 6 provides that no pre-natal diagnostic techniques including sonography can be conducted for the purpose of determining the sex of a foetus and that no person shall conduct or cause to be conducted any pre-natal diagnostic techniques including ultrasound sonography for the purpose of determining the sex of a foetus. Section 22 provides prohibition of advertisement relating to pre-natal determination of sex and punishment for contravention with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to ten thousand rupees. Section 23 provides for offences and penalties with imprisonment up to three years and fine up to Rs. 10,000. For any subsequent offences, there is imprisonment of up to five years and fine up to Rs. 50,000/1,00,000. The name of the Registered Medical Practitioner is reported by the Appropriate Authority to the State Medical Council concerned for taking necessary action including suspension of the registration if the charges are framed by the court and till the case is disposed of. On conviction, the name of Registered

Medical Practitioner is removed for a period of 5 years for the first offence and permanently for the subsequent offence. Section 24 provides for punishment for abetment of offence as prescribed under sub-section (3) of section 23. Section 25 provides for penalty for 'contravention of any provision of the Act or rules for which no specific punishment is provided' with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine, which may extend to one thousand rupees or with both and in the case of continuing contravention with an additional fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention. Section 26 provides for offences by companies.<sup>38</sup>

The enforcement of the PC&PNDT Act remains extremely poor despite rampant violations. The Health Minister of India Mr J P Nadda informed in the Rajya Sabha (Upper House) on 3 March 2015 that a total of 306 convictions<sup>39</sup> have been secured under the PC&PNDT Act in India during 2009 to December 2014. Out of these, only two convictions (one in 2011 and the other in 2013) were secured in Madhya Pradesh<sup>40</sup> while 15 cases were pending in courts as of September 2014. Only two licenses were suspended and only 13 ultra sonography machines were seized or sealed during the same period.<sup>41</sup> On the other hand, on 15 September 2015, the Directorate of Public Health Services, Madhya Pradesh informed during the Regional Workshop organised by the State Institute of Health and Family Welfare in Rajasthan that a total of 43 court cases were filed in different districts of Madhya Pradesh since the inception of the PC&PNDT Act of which one case resulted in conviction, one case was dismissed and 41 were pending.<sup>42</sup>

---

38. Pre-conception and Prenatal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 <http://pndt.gov.in/writereaddata/mainlinkFile/File50.pdf>

39. Written reply given by Mr. J P Nadda, Health Minister, in the Rajya Sabha (Upper House) on 15 March 2016; Available at: <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=137946>

40. Effective Implementation of PNDT Act, Press Information Bureau, Government of India (Ministry of Health and Family Welfare), 3 March 2015, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=116303>

41. See Annexure as referred to reply to part (a) of Lok Sabha Unstarred Question No. 799 for answer on 27.02.2015

42. GirlsCount, Civil Society Report Card on PCPNDT Act, December 2015, P 65, <http://www.girlscount.in/publications/Civil%20Society%20Report%20Card%20on%20PCPNDT-2015.pdf>

The NCRB in its annual reports stated that during 2004 to 2014, a total of 312 cases of foeticide were recorded from Madhya Pradesh, including 12 cases in 2005, 14 in 2006, 10 in 2007, 8 in 2008, 39 in 2009, 18 in 2010, 38 in 2011, 64 in 2012, 79 in 2013 and 30 cases in 2014.<sup>43</sup>

In a meeting of the Madhya Pradesh State Supervisory Committee for PC&PNDT Act held on 28 July 2014 which was presided over by Madhya Pradesh Health Minister and President of the Supervisory Committee Mr. Narottam Mishra, an officer from Department of Health and Family Welfare informed that in the last 10 months, a total of 882 sonography centres were inspected, registration of 32 centres were cancelled and 23 centres were sealed.<sup>44</sup> In June 2016, Madhya Pradesh Medical Council suspended the license of Dr. Abhay Nattu after a charge sheet was filed against him in a local court for violations of the on account of violations of the PC-PNDT Act.<sup>45</sup>

Yet, the performance of the State Supervisory Committee for PC&PNDT Act was not satisfactory. On 15 September 2014, the Chief Judicial Magistrate court, Gwalior, ordered registration of a case against Madhya Pradesh's Chief Health Secretary Praveer Krishna, Principal Secretary Suraj Damor and suspended Health Director Dr. Ashok Sharma for violating PC&PNDT Act for not holding meetings of the State Supervisory Committee. The court initiated the action on the complaint of Dr. KK Dikshit, chairman of Gwalior based NGO Deen Dayal Municipal Services Committee which alleged that the three officials had not held any meeting of the committee from 8 May 2013 to 14 January 2014 despite the fact that holding of meeting every four months being a statutory requirement.<sup>46</sup> Dr. Dixit accused the authorities of

---

43. Annual Reports "Crime In India" 2004-2014 of National Crime Records Bureau, Government of India

44. Madhya Pradesh to invoke NSA for sex determination, Hindustan Times, 30 July 2014; available at: <http://www.hindustantimes.com/india/madhya-pradesh-to-invoke-nsa-for-sex-determination/story-crgMac5Gh6CVElytx6OGpM.html>

45. Madhya Pradesh: State council suspends doctors license, State News, June 19, 2016; Available at: <http://medicaldialogues.in/madhya-pradesh-state-council-suspends-doctors-license/>

46. Case filed against chief health secretary on violating female foeticide law in Madhya Pradesh, Daily Bhaskar, 16 September 2014; Available at: <http://daily.bhaskar.com/news/MP-BHO-case-filed-against-chief-health-secretary-on-violating-female-foeticide-law-in-ma-4746230-NOR.html>

violating the Act, which subsequently resulted in increase of cases of female foeticide in the Gwalior Chambal region.<sup>47</sup>

## **2.5 Implementation of the MTP Act**

India also enacted the Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act in 1971 to regulate and ensure access to safe abortions. The MTP Act of 1971 (amended in 2002) allows abortion up to 20 weeks of pregnancy in cases where “the continuance of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury to her physical or mental health”, or, “there is substantial risk that if the child were born, it would suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped”.<sup>48</sup> When the pregnancy is caused by rape or as a result of failure of family planning device or method used by any of the married couples, pregnancy can be terminated.<sup>49</sup> Abortion is allowed only when it is conducted by registered medical practitioners at a hospital established or maintained by the Government or a facility certified by the Government or a District Level Committee constituted by the Government<sup>50</sup>. However, in special circumstances, pregnancy can be terminated any time (i.e. beyond 20 weeks’ gestation) and without approval of a second doctor when “the termination of such pregnancy is immediately necessary to save the life of the pregnant woman.”<sup>51</sup> In this case, the registered medical practitioner need not have the requisite experience or training in gynecology and obstetrics as required under Section 2 (d) to perform the abortion.<sup>52</sup> Specific punishments were prescribed for any illegal abortion under the MTP (Amendment) Act of 2002, which shall not be less than 2 years rigorous imprisonment but which may extend to 7 years under the IPC.<sup>53</sup>

47. Two IAS officers among three booked for violation of PC&PNDT Act in Madhya Pradesh, Times of India, 15 September 2014; Available at: <http://timesofindia.indiatimes.com/india/Two-IAS-officers-among-three-booked-for-violation-of-PC&PNDT-Act-in-Madhya-Pradesh/articleshow/42539327.cms>

48. Section 3, sub section (2) of the Medical Termination of Pregnancy Act of 1971

49. Section 3, sub section (2) of the Medical Termination of Pregnancy Act of 1971

50. Section 4 of the Medical Termination of Pregnancy Amendment Act of 2002

51. Section 5, sub section (1) of the Medical Termination of Pregnancy Act of 1971

52. See Explanation 2 under Section 5 of the Medical Termination of Pregnancy Amendment Act of 2002

53. Section 5, sub-sections (2)-(4) of the MTP Amendment Act of 2002



While the government of India does not have any official data on illegal abortions, the Ministry of Health and Family Welfare has unambiguously acknowledged that *“Although abortions were made legal in 1971, actually illegal abortions still outnumber legal abortions by a large margin. It is estimated that 10-15 thousand women die every year due to complications resulting from unsafe abortions conducted at unapproved places by untrained providers.”*<sup>54</sup> The official number on abortions varies. According to the Ministry of Health and Family Welfare’s report *“Health and Family Welfare Statistics in India 2013”*, a total of 6,49,795 medical termination of pregnancies (or abortions) were performed during 2008-2009; 6,75,810 during 2009-2010; 6,48,469 during 2010-2011; 6,25,448 during 2011-2012 and 6,36,010 during 2012-2013.<sup>55</sup> Further on 6 August 2013, then Union Minister of Health and Family Welfare Mr Ghulam Nabi Azad told the Rajya Sabha that a total of 11.06 lakh abortions were recorded in the year 2008-09 in India.<sup>56</sup>

But unofficial estimates made by independent research study of 2004 *“Abortion Assessment Project - India (AAPI)”* coordinated by CEHAT, Mumbai and Health watch, Delhi estimated a staggering 6.4 million (64 lakhs) abortions taking place annually in India. Of these, 1.6 million (16 lakhs) abortions i.e. 25% were performed by informal (traditional and/or medically non-qualified) abortion providers.<sup>57</sup> The Population Research Institute, a non-profit research group, states that at least 12,771,043 sex selective abortions had taken place in India in the years between 2000 and 2014. The yearly average of sex selective abortion is 851,403 or daily average of 2,332.<sup>58</sup>

The underreporting under the MTP Act is glaring. It is assumed that States with more population will report more such cases. For example, Assam

54. <http://164.100.47.132/LssNew/psearch/Result13.aspx?dbst=4858>

55. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India’s *“Health and Family Welfare Statistics in India 2013”*, Page 209, <https://nrhm-mis.nic.in/PubFWStatistics%202013/Complete%20Book.pdf>

56. Statement of then Minister of Health and Family Welfare Mr Ghulam Nabi Azad in response to Unstarred Question No. 257 in the Rajya Sabha on 6 August 2013,

57. See <http://www.cehat.org/go/uploads/AapIndia/summary.pdf>

58. Population Research Institute, *“Sex-Selective Abortion Around the World”*, <https://www.pop.org/content/sex-selective-abortion>

with a total population of 31,205,576 as per 2011 census reported a total of 3,53,309 cases of termination of pregnancies under the MTP Act during 2008-2009 to 2012-13. In comparison, Uttar Pradesh with a population of 199,812,341 as per 2011 census reported a total of 3,60,555 cases during the same period. In other words, Uttar Pradesh despite having 159 million populations more than Assam reported only 7,246 cases more than Assam. On the other hand, Maharashtra having a population of 112,374,333 as per 2011 census i.e. less than Uttar Pradesh reported 5,44,671 cases of termination of pregnancies under the MTP Act during the said period. Some other major States with population more than Assam as per 2011 census reported fewer cases than Assam. These States include Andhra Pradesh (32,842 cases) with over 84 million population; Bihar (67,895 cases) with population of over 100 million; Gujarat (1,04,901 cases) with population of over 60 million; Karnataka (1,30,410 cases) with population of over 61 million; Madhya Pradesh (1,32,118 cases) with population of over 72 million; Odisha (103,146 cases) with population of over 41 million; Rajasthan (158,470 cases) with population of over 68 million; Tamil Nadu (299,083 cases) with population of over 72 million; and West Bengal (269,091 cases) with population of over 91 million.<sup>59</sup>

As per the official records, Madhya Pradesh had 1,32,118 abortions under the MTP Act with 24,994 abortions in 2008-09, 20,090 abortions in 2009-10, 26,009 abortions in 2010-11, 30,391 abortions in 2011-12 and 30,634 abortions in 2012-13.<sup>60</sup>

The possibilities of the MTP Act being used to abort female foetuses remain high.

---

59. Please refer to "The MTP Amendment Bill, 2014: India's Beti Mar Do Campaign" by Asian Centre for Human Rights, January 2016 available at <http://www.stopfemaleinfanticide.org/files/MTP-Amendment-Bill-2014.pdf>

60. Source: Ministry of Health and Family Welfare, "Health and Family Welfare Statistics in India 2013", P 209, <https://nrhm-mis.nic.in/PubFWStatistics%202013/Complete%20Book.pdf>

## 3. LADLI LAXMI YOJANA (LLY)

---

### 3.1. Objectives of the scheme

The Ladli Laxmi Yojana (LLY) was started by the Government of Madhya Pradesh from 1 April 2007 with the objectives to lay strong foundation of girls' future through improvement in their educational and economic status and to bring about a positive change in social mind set towards birth of a girl.<sup>61</sup>

The expected benefits of the LLY as envisaged by State Government are stated below<sup>62</sup>:

- i. Reduction in incidence of child marriage;
- ii. Improvement of education level of girls;
- iii. Improvement of health of the girl child;
- iv. Positive change in Child Sex Ratio;
- v. Encouragement to family planning, especially dissuading the longing for male child after having two girl children;
- vi. Stabilizing growth rate of population.

### 3.2. Eligibility conditions

The conditions of eligibility for registration under the Ladli Laxmi Yojana (LLY)<sup>63</sup> are as under:

- i. Girl child whose parents are permanent residents of Madhya Pradesh;
- ii. Parents are not income tax payers;
- iii. Either of the parents must have adopted family planning after the birth of the second girl child;

---

61. <http://www.mp.gov.in/en/web/guest/impschemes>

62. See Annexure-A

63. See Annexure-A

- iv. First girl child should have born after 01.01.2006;
- v. Regular attendance of the beneficiary girl child at the Anganwadi Centre;
- vi. Adoption of family planning is not required for a family in which of one spouse has died but certificate of death is required to be produced;
- vii. In case of twin girl children born during the second delivery in a family where the first child is either a boy or a girl, the twin girls shall be entitled to the benefits under the LLY;
- viii. A girl child taken in adoption by a family shall be entitled to the benefits under the LLY;
- ix. In case of death of both parents, application for registration by a girl child is allowed up to 5 years of age;
- x. Even three girl children born during the first delivery shall be entitled to the benefits under the LLY;
- xi. Parents who have not been able to apply for registration under the LLY within one year of birth of their girl child can appeal to the District Collector within 2 years

### **3.3. Process of application and documents required for registration under the LLY**

The application for registration is submitted through the Anganwadi Centre situated in the area where the applicant resides or through the nearest Lok Seva Kendra (Public Services Center) within one year of birth of the girl child. However, since 24 December 2014 an application along with requisite documents can also be submitted online apart from the above mentioned channels (See **Annexure-B**).

### **3.4. Benefits under the LLY and modalities for disbursal of the benefits**

On selection, National Savings Certificate (NSC) of Rs. 6000 each is to be bought in the name of the beneficiary girl for consecutively for 5 years. Thus,

---

at the end of 5 years, an investment of Rs. 30,000 is made in the name of the beneficiary girl. Payment to the beneficiaries is released in the following manner<sup>64</sup>:

- i. On admission in 6<sup>th</sup> Standard- Rs 2000;
- ii. On admission in 9<sup>th</sup> Standard- Rs 4000;
- iii. On admission in 11<sup>th</sup> Standard- Rs 7500;
- iv. During study in 11<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> Standard- Rs. 200 per month for two years; and
- v. On completion of 18 years, the beneficiary will get Rs.1 lakh on the condition that remain unmarried till attaining 18 years and that she should have sat in Class XII examination

As per above payment plan, a beneficiary would get an amount of Rs.1,18,300 on completion of 18 years. This process of payment has been amended vide Order dated 24 December 2014 (**Annexure-B**) and as per the amended process, payment is released to the beneficiaries in the following manner:

- i. On admission to 6<sup>th</sup> Standard- Rs 2000;
- ii. On admission to 9<sup>th</sup> Standard- Rs 4000;
- iii. On admission to 11<sup>th</sup> Standard- Rs 6000;
- iv. On admission to 12<sup>th</sup> Standard – Rs.6000; and
- v. On completion of 21 years, the beneficiary will get Rs.1,00,000 subject to the conditions that – (i) she does not marry before 18 years of age and (ii) she takes the Class XII examination

As per the revised payment plan, a beneficiary would get an amount of Rs.1,18,000 on attaining 21 years of age. The State Government also created a dedicated fund by the name of Ladli Laxmi Fund for implementation of LLY vide Order dated 24 December 2014 (**Annexure-B**).

64. Special Financial Incentive Schemes for the Girl Child in India: A Review of Select Schemes 2010 by T.V. Sekher International Institute for Population Sciences, Mumbai for The Planning Commission Government of India; Available at: [http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA\\_Publication-39772.pdf](http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Publication-39772.pdf)

### **3.5. Assessment of performance of the Ladli Laxmi Yojana**

#### **A. Wider outreach**

The Ladli Laxmi Yojana has received a lot of attention and enjoyed popularity amongst the people. As of 11 May 2015, 20 lakh girls have been benefited with Ladli Laxmi Yojana since its launch in 2007. Seven states of the country have replicated the scheme.<sup>65</sup> As of 16 December 2014, more than Rs 4,500 crore had been deposited in bank accounts of over 18.62 lakh girls under the Ladli Laxmi Yojana aimed at protecting the future of the girls and enhancing their population in the state.<sup>66</sup>

Amongst others, the eligibility conditions such as: (i) inclusion of at least two girl children from a family; (ii) inclusion of a girl child adopted by a family; (iii) not restricting the benefits of the scheme only to girl children of BPL families; (iv) allowing registration of girls up to years and (v) allowing registration of a girl child up to 5 years of age in case of death of both parents have largely contributed to wider outreach of the LLY among the people of Madhya Pradesh.

#### **B. Restrictive conditions**

One of the conditions of eligibility under the LLY is that that the parents of an intended beneficiary should not be income tax payers. In other words, if the parents are income tax payers, they shall be considered economically sound and as such their daughters are not eligible for benefits under the LLY. But this eligibility condition is highly restrictive and excludes the girl children of parents who pay income tax. The exclusion of girls belonging to the taxing paying parents is contrary to the objective of the LLY i.e. to bring about positive change in the CSR. Exclusion of the girl children from the benefits of

---

65. MP CM launches e-Ladli scheme, Times of India, 11 May 2015; Available at: <http://timesofindia.indiatimes.com/good-governance/madhya-pradesh/MP-CM-launches-e-Ladli-scheme/articleshow/47238023.cms>

66. Over 18 lakh girls have benefitted from Ladli scheme in MP, Zee News, 17 December 2014; Available at: [http://zeenews.india.com/news/madhya-pradesh/over-18-lakh-girls-have-benefitted-from-ladli-scheme-in-mp\\_1516428.html](http://zeenews.india.com/news/madhya-pradesh/over-18-lakh-girls-have-benefitted-from-ladli-scheme-in-mp_1516428.html)

the LLY is an absolute disincentive to the parents who are income tax payers and as such defeats the objectives of the LLY.

### **C. Problems of implementation**

The office of the Comptroller and Auditor General (CAG) conducted an audit of the implementation of the Scheme to assess whether the benefits under the Scheme accrued to the eligible targeted girl child and the operational controls as well as monitoring of the Scheme implementation were adequate. The review was conducted for the period 2010-13 by test check of records in 127 Project Offices (PO) covering 7,508 Anganwadi Centres (AWCs) in 15 districts out of 453 POs having 80,160 AWCs in the State. Out of total expenditure of Rs 1,900.27 crore incurred on the Scheme during the period 2010-13 in the State, expenditure of Rs 638.16 crore (34 per cent) was covered in audit. The CAG audit pointed out the following problems in the implementation of the LLY<sup>67</sup>:

#### ***i. Improper maintenance of record of selection of the beneficiaries***

The CAG audit found that maintenance of record for selection of beneficiary was improper. As per instructions of the Directorate of Woman and Child Welfare Department the forms of ineligible applicant and their list were to be kept in the Angan Wadi Centers (AWCs) and parents or guardian of the girl were to be informed in writing regarding ineligibility of applicant. However, the CAG audit found that in all cases where scrutiny was done, the registration number and date of receipt of application forms were not recorded by the AWCs on the application forms/register. The CAG audit reported stated that in respect of ineligible applicants neither the application forms were retained nor their records were maintained in 7,508 AWCs. Thus, it was not possible to ascertain the grounds on which applications were rejected and whether parents were duly informed about girl's ineligibility as envisaged in the Scheme.

---

67. Report of the Comptroller and Auditor General of India on General and Social (Non-PSUs) Sectors for the year ended 31 March 2013 (Government of Madhya Pradesh Report No.3 of the year 2014); available at: [http://www.saiindia.gov.in/sites/default/files/audit\\_report\\_files/Madhya\\_Pradesh\\_Report\\_3\\_2014.pdf](http://www.saiindia.gov.in/sites/default/files/audit_report_files/Madhya_Pradesh_Report_3_2014.pdf)

***ii. NSC issued without ascertaining eligibility of beneficiaries***

The CAG audit noted that National Saving Certificates (NSCs) were issued without ascertaining eligibility of beneficiaries. As per the Scheme guidelines, the CDPOs sanction/ approve each case after scrutiny based on documents sent by AWCs and they maintain a register (LLY-II) for watching timely sanction and issue of NSCs and educational benefits, etc. Before issuing the second and the subsequent NSC the CDPOs were to ascertain compliance with the eligibility conditions on the basis of the information provided by Angan Wadi Workers (AWW). On scrutiny of records maintained at 126 Project Offices (PO) and 7458 AWCs revealed that in 2,60,574 cases the CAG audit found that the second and subsequent NSCs were issued to the beneficiaries without obtaining information about eligibility of beneficiary from the AWWs. The audit further noted that in 89 POs, 1,125 NSCs valued Rs. 67.50 lakh were issued in respect of 7,075 beneficiaries who were actually dead before issue of second and subsequent NSCs.

***iii. Non-cancellation of NSCs in case of death of beneficiaries:***

The CAG audit noticed failure on the part of the Child Development Program Officers (CDPOs) to initiate action to cancel NSCs in case of death of beneficiary. As per the provisions of the Scheme, on receipt of intimation of death of beneficiaries from AWWs, the CDPO should credit the amount of NSC to the Government Account. Scrutiny of AWC records in respect of birth/death of beneficiaries by the CAG audit revealed that during the period 2007-2013, in 98 test-checked POs 1,330 beneficiaries had died to whom 2457 NSCs amounting to Rs. 1.47 crore were issued. However, no action was initiated by the CDPO to cancel the NSCs and credit the amount of Rs.1.47 crore to the Government Account.

***iv. Delay in issue of subsequent NSCs to the beneficiaries***

The CAG audit also found that there has been delay in issue of subsequent NSCs to the beneficiaries. As per the scheme guidelines, subsequent NSCs (2nd, 3rd, 4th and 5th) was to be issued to the beneficiaries after 12 months,



24 months, 36 months and 48 months from the date of issue of first NSC. Scrutiny of records in 127 POs revealed in July 2013 that in 3053 cases, there were delays ranging from 02 days to 142 months in issuance of subsequent NSCs which resulted in loss of interest to the tune of Rs.25.95 lakh. As a result, the beneficiary were denied assured benefit of Rs.1,18,177 of the Scheme.

***v. More than 5 NSCs issued to some beneficiaries***

The CAG audit also found that more than five NSCs were issued to the beneficiaries. As per the provision of the scheme, the beneficiaries were to be issued NSCs of Rs. 6000 each year for five years by the POs from the date of registration of application. Scrutiny of records of April to August 2013 in test checked 127 POs revealed that the CDPOs did not check LLY-II register and also did not obtain eligibility details from AWCs. It was also observed that in 30 POs, 231 NSCs were issued in excess of maximum five NSCs to 185 beneficiaries amounting to Rs. 13.86 lakh (231 NSC x Rs.6000) during the period 2010-13.

***vi. Benefits given to second girl child without ascertaining fulfillment of eligibility***

As per provision of the Scheme, in case the second girl child is benefited under this Scheme, the parents should adopt family planning within one year after birth of second girl child. The second and subsequent NSCs for the child will not be issued if parents do not fulfill the condition. However, the CAG noted that in cases of 208 second girl child beneficiaries, second and subsequent NSCs, (426 NSCs worth Rs. 25.56 lakh were sanctioned without obtaining the requisite certificate from the AWC, regarding fulfillment of condition of family planning by the parents, as envisaged in the Scheme.

***vii. Lack of monitoring and supervision***

As per the Scheme guidelines, the Head of the Department (HOD) was required to conduct verification of five per cent cases registered at POs as per the procedure formulated by Commissioner. However, in the test check of

records of 127 POs the CAG audit observed that there was nothing on records to show that such verification was conducted at the Project Offices. Besides, ineffectiveness of monitoring and control was evident from the instances of improper record keeping, non-reporting of death cases of beneficiaries, delay in issue of NSCs, issue of more than five NSCs and issue of NSC to ineligible girl child.

***viii. Provision for publicity of the scheme remained unspent***

As per guidelines, out of total provision for the Scheme, provision of one per cent for publicity of the Scheme was to be made separately. During the period 2010-13, Rs.19.15 crore was due for publicity (one per cent of Rs.1915.30 crore provided under the Scheme). Against this, only Rs. 6.50 crore was allotted out of which only Rs. 3.11 crore was spent for publicity works.

## 4. CONCLUSION: LLY FAILED TO IMPROVE CSR IN MADHYA PRADESH

---

There is no doubt that the strong will of Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh to implement the Ladli Laxmi Yojana (LLY) and the interest and awareness amongst the people have influenced the performance of the LLY positively. As of 10 May 2015, 20 lakh girls have been benefited with LLY. Seven states of the country have replicated the LLY.<sup>68</sup>

During the years 2010-11 to 2012-13, expenditure incurred under the Scheme was Rs.1900.27 crore against sanctioned allotment of Rs. 1915.30 crore. Out of these, Rs. 316.34 crore was spent against allotment of Rs. 323.46 crore during 2010-11 while Rs.691.60 crore was spent against Rs. 694.60 crore during 2011-12 and Rs.892.33 crore was spent against Rs. 897.24 crore during 2012-13.<sup>69</sup>

However, the wide coverage of the girl child under the LLY to the tune of 20 lakh beneficiaries as of 10 May 2015 do not reflect the success of the LLY in improving the declining sex ratio. That the LLY had very limited impact on the declining CSR in Madhya Pradesh is evident from the drastic fall of CSR by 14 points from 932 in 2001 to 918 in 2011.<sup>70</sup> The 14 point decline was recorded despite the fact that LLY has been operational in Madhya Pradesh since 1<sup>st</sup> April 2007 which accounts for half of the decade accounted in the 2011 Census i.e. 2002-2011.

The figures of Sex Ratio at Birth (SRB) recorded in the Annual Health Survey during 2010-11, 2011-12 and 2012-13 also suggests that the LLY did

---

68. MP CM launches e-Ladli scheme, Times of India, 11 May 2015; Available at: <http://timesofindia.indiatimes.com/good-governance/madhya-pradesh/MP-CM-launches-e-Ladli-scheme/articleshow/47238023.cms>

69. Report of the Comptroller and Auditor General of India on General and Social (Non-PSUs) Sectors for the year ended 31 March 2013 (Government of Madhya Pradesh Report No.3 of the year 2014); available at: [http://www.saiindia.gov.in/sites/default/files/audit\\_report\\_files/Madhya\\_Pradesh\\_Report\\_3\\_2014.pdf](http://www.saiindia.gov.in/sites/default/files/audit_report_files/Madhya_Pradesh_Report_3_2014.pdf)

70. <http://www.census2011.co.in/census/state/madhya+pradesh.html>

not have any significant impact on the mindset of the people to retain the girl child. The Annual Health Survey 2010-11 recorded SRB at 904<sup>71</sup> while the Annual Health Survey 2011-12 recorded 904<sup>72</sup> and the Annual Health Survey 2012-13 recorded 905<sup>73</sup>, an invisible improvement of only 1 point. Similarly, the Annual Health Survey 2010-11 recorded Sex Ratio (0-4) at 911<sup>74</sup> while the Annual Health Survey 2011-12 recorded 915<sup>75</sup> and Annual Health Survey 2012-13 recorded 916<sup>76</sup>. This means that there was marginal increase of only 5 points since 2010-11.

The decline of population of girls in 0-6 year bracket and increase of population of boys in the same age group only proves that the LLY hardly had any impact at improving the CSR in Madhya Pradesh. The 2001 census recorded 52,02,367 girls in the age group of 0-6 years in Madhya Pradesh while the 2011 census recorded only 51,73,223 girls of the same age group<sup>77</sup>. Even without taking into account the recorded growth rate of population in the state which was 20.35% during 2001-2011, there is a shortfall of 29,144 girls in the 0-6 age group. On the other hand, the 2011 census recorded the increase of 56,325 boys in 0-6 age group over and above boys population of 55,79,847 recorded in the 2001 census. The population of boys in 0-6 years bracket was 56,36,172 as per 2011 census.<sup>78</sup>

---

71. Annual Health Survey 2010-11; Available at: [http://www.censusindia.gov.in/vital\\_statistics/AHSBulletins/AHS\\_Baseline\\_Factsheets/M\\_P.pdf](http://www.censusindia.gov.in/vital_statistics/AHSBulletins/AHS_Baseline_Factsheets/M_P.pdf)

72. Annual Health Survey 2011-12; Available at: [http://www.censusindia.gov.in/vital\\_statistics/AHSBulletins/AHS\\_Factsheets\\_2011\\_12/MP\\_Factsheet\\_2011-12.pdf](http://www.censusindia.gov.in/vital_statistics/AHSBulletins/AHS_Factsheets_2011_12/MP_Factsheet_2011-12.pdf)

73. Annual Health Survey 2012-13; Available at: [http://www.censusindia.gov.in/vital\\_statistics/AHSBulletins/AHS\\_Factsheets\\_2012-13/FACTSHEET-MP.pdf](http://www.censusindia.gov.in/vital_statistics/AHSBulletins/AHS_Factsheets_2012-13/FACTSHEET-MP.pdf)

74. Annual Health Survey 2010-11; Available at: [http://www.censusindia.gov.in/vital\\_statistics/AHSBulletins/AHS\\_Baseline\\_Factsheets/M\\_P.pdf](http://www.censusindia.gov.in/vital_statistics/AHSBulletins/AHS_Baseline_Factsheets/M_P.pdf)

75. Annual Health Survey 2011-12; Available at: [http://www.censusindia.gov.in/vital\\_statistics/AHSBulletins/AHS\\_Factsheets\\_2011\\_12/MP\\_Factsheet\\_2011-12.pdf](http://www.censusindia.gov.in/vital_statistics/AHSBulletins/AHS_Factsheets_2011_12/MP_Factsheet_2011-12.pdf)

76. Annual Health Survey 2012-13; Available at: [http://www.censusindia.gov.in/vital\\_statistics/AHSBulletins/AHS\\_Factsheets\\_2012-13/FACTSHEET-MP.pdf](http://www.censusindia.gov.in/vital_statistics/AHSBulletins/AHS_Factsheets_2012-13/FACTSHEET-MP.pdf)

77. See <http://www.census2011.co.in/census/state/madhya+pradesh.html>

78. See <http://www.census2011.co.in/census/state/madhya+pradesh.html>


# Annexure-I: Laadli Scheme

पूर्व पृष्ठ से:-

मंत्रि-परिषद आदेश  
आयटम क्रमांक 29 दिनांक 22 फरवरी, 2007


विषय:- बालिका सशक्तिकरण हेतु "लाडली लक्ष्मी योजना" को लागू करने हेतु स्वीकृति

निर्णय लिया गया कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पश्चात् जन्म लेने वाली एवं योजनान्तर्गत पात्र, ऐसी बालिकाओं के लिए जिनके माता पिता आयकर दाता न हों, "लाडली लक्ष्मी योजना" दिनांक 01.04.2007 से प्रारंभ करने की स्वीकृति दी जाए। योजनान्तर्गत बालिका के फंजीकृत होने पर लगातार 5 वर्षों तक प्रति वर्ष रुपये 6000/- कुल रुपये 30,000/- (तीस हजार) बालिकाओं के नाम पर जमा की जाएगी तथा उक्त राशि के लाभ में से बालिका के कक्षा 6, कक्षा 9, कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर क्रमशः रुपये 2000/-, 4000/-, 7500/- तथा कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययन हेतु रुपये 200/- मासिक भुगतान करने एवं बालिका के 18 से 21 वर्ष आयु होने पर प्रस्तावानुसार शेष समस्त लाभ राशि का भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है। 21 वर्ष के होने के पश्चात् ऐसे भुगतान की गई कुल राशि रुपये 1 लाख से कम नहीं होगी।

  
(राकेश साहनी)  
मुख्य सचिव,  
22 फरवरी, 2007

प्रमुख सचिव,  
महिला एवं बाल विकास विभाग





10 P-3-11/107/15082

क्र.सं- २ सचिवालय

**विषय:- "लाडली लक्ष्मी" योजना के संबंध में।**

सूची दृष्ट करे:-

कृपया बालिका सशक्तिकरण हेतु "लाडली लक्ष्मी" योजना को लागू करने संबंधी मंत्री परिषद के स्वीकृति आदेश दिनांक 22 फरवरी, 2007 के पालन में विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले आदेश का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(पी. नरेश्वरि) ~~...~~  
उप सचिव

प्रमुख सचिव  
3/2/07

भाजपी जाये करे।

(पी. नरेश्वरि) ~~...~~  
3/2

1517  
12.4

डा. (र.)  
80

जाचक क्रमांक ..... 669 .....  
पुस्तक संख्या ..... 670 .....  
दिनांक ..... 3/2/07 .....

मध्यप्रदेश शासन,  
महिला एवं बाल विकास  
मन्त्रालय, वल्लभ भवन  
भोपाल

दिनांक 03.03.2007

क्रमांक एफ- 3-11/2007/50-2

भोपाल दिनांक 03.03.2007

प्रति,

संचालक  
संचालनालय महिला एवं बाल विकास  
पर्यावार्य भवन, चतुर्थ तल, द्वितीय ब्लाक  
भोपाल

विषय:- लाडली लक्ष्मी योजना का कियान्वयन ।

माननीय मुख्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2006 को आयोजित "महिला पंचायत" के अवसर पर, यह घोषणा की गई कि, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत, कन्याओं के जन्म के समय उनके नाम से राशि जमा करने की योजना, तैयार की जायेगी, जिसके तहत कन्या की आयु 21 वर्ष होने पर उसे एक लाख रु मिलेगा। वस्तुतः राष्ट्रीय मानकों के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश राज्य में नहिलाओं से संबंधित संकेतक क्षिणानुपात में सुधार, बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का स्वीकृति दी जाती है। यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2007 से लागू की जायेगी।

योजना का स्वरूप

1. योजना के अनुसार मध्यप्रदेश के मूल निवासी ऐसे माता पिता, जिनकी दो या दो से कम संतान हो तथा जिन्होंने योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन करने के पूर्व परिवार नियोजन अपना लिया हो, और जै आयकर दाता न हो, की ऐसी बालिका संतान, जो राज्य के किसी भी आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो एवं जिसकी, आंगनबाड़ी में उपस्थिति साधारणतः निश्चित हो अथवा ऐसी बालिका जो राज्य के किसी अनाथालय अथवा किसी बालिका अनुसंधान गृह में निवासरत हो, एवं
2. जिसका जन्म दिनांक 1 जनवरी 2006 को या उसके पश्चात् हुआ हो, योजना हेतु पात्र होगी।
3. यदि बालिका का, योजना में पंजीकरण, बालिका के जन्म के 1 वर्ष के अन्दर किया गया हो, या यदि बालिका अपनी माता पिता की प्रथम संतान है, तो द्वितीय संतान के जन्म के, 1 वर्ष के अन्दर किया गया हो।

4. परन्तु यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों संतानों का जन्म 1 अप्रैल 2007 के पूर्व हो चुका है तो ऐसी बालिकाओं का पंजीयन, योजना प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अर्थात् 31 मार्च 2008 तक कराया जा सकेगा।
5. बालिका के नाम से, एक निश्चित राशि का राष्ट्रीय बचत पत्र पोस्ट आफिस से कय किये जायेंगे, तथा बालिका को समय समय पर भुगतान, योजना के अधीन निर्धारित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने पर, योजना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, किया जाएगा।
6. बालिका के नाम से, पंजीकरण के समय, रुपये 6000/- तथा उसके पश्चात लगातार 4 वर्षों तक रुपये 6000/- के राष्ट्रीय बचत पत्र कय किये जायेंगे। इस प्रकार कुल राशि रुपये 30,000/- के राष्ट्रीय बचत पत्र बालिका के नाम, कय किये जायेंगे।
7. राष्ट्रीय बचत पत्रों के नवीनीकरण के समय, यदि 6 वर्ष से कम अवधि अंतिम भुगतान के लिए शेष रहती है तो नवीनीकरण सावधि जमा के रूप में किया जावेगा।

#### योजना से अपेक्षित लाभ

- बाल विवाह में कमी।
- बालिकाओं के शिक्षा के स्तर में सुधार।
- बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार।
- लिंगानुपात में सकारात्मक परिवर्तन।
- परिवार नियोजन को प्रोत्साहन, विशेषतः दो बालिकाओं के जन्म के बाद बालक के जन्म की चाह में कमी।
- जनसंख्या वृद्धि दर में कमी।

#### योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया

1. योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप डाक्टर विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग, की परस्पर सहमति से निर्धारित किया जाएगा।
2. मातापिता, अथवा अभिभावक द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से आवेदन पत्र लेकर पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पत्र, बालिका के जन्म के एक वर्ष के अन्दर संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रस्तुत करना होगा। या, यदि बालिका अपनी माता-पिता की प्रथम संतान है तो द्वितीय संतान के जन्म के एक वर्ष के अन्दर करना होगा। परन्तु यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों संतानों का जन्म 1 अप्रैल 2007 के पूर्व हो चुका हो तो ऐसी स्थिति में 1 अप्रैल 2007 के पूर्व जन्म लेने वाले बालिकाओं के पंजीयन के लिए आवेदन 31 मार्च 2008 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। ऐसे प्राप्त आवेदनों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, संबंधित परियोजना अधिकारी को प्रेषित करेगी। अनाथ बालिका की दशा में संबंधित अनाथालय / संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा बालिका के अनाथालय में प्रवेश के एक वर्ष के अन्दर और बालिका की आयु 6 वर्ष होने के पूर्व संबंधित परियोजना अधिकारी को आवेदन



- 13 पत्र प्रस्तुत करना होगा; ऐसी बालिका के लिए जन्म दिनांक वह मानी जायेगी जो अनाथालय / संरक्षण गृह में प्रवेश के समय अंकित की गई हो।
- 3 योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने की कोई अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं होगी, अर्थात् प्रत्येक पात्र बालिका के लिए आवेदन वर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / परियोजना अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।
- 4 आवेदन पत्र वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार आमंत्रित करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रशासकीय विभाग सक्षम होगा।
- 5 परियोजना अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को, उनके कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि के अनुक्रम में एक पंजी में दर्ज करेगा। आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जाने पर, उनका सम्पूर्ण विवरण विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक पंजी में अंकित करेगा; तथा संबंधित डाकघर को प्रेषित करेगा।
- 6 परियोजना अधिकारी प्रत्येक माह में ऐसे पंजीकृत की गई बालिकाओं की सूची निर्धारित प्रारूप में संचालनालय को प्रेषित करेगा। सचिवालय द्वारा ऐसी प्राप्त सूचियों को एकजाई कर हितग्राही संख्या के आधार पर एक पृष्ठ राशि अहरित कर डाकतार विभाग को क्षेत्रीय कार्यालय में जमा की जायेगी। डाकतार विभाग को हितग्राहियों की जिलावार सूची संचालनालय, महिला बाल विकास विभाग द्वारा राशि के साथ उपलब्ध कराई जायेगी जिसकी सचिव परियोजना अधिकारी एवं जिला अधिकारियों को दी जायेगी।
- 7 डाकतार विभाग द्वारा ऐसी प्राप्त सूची के आधार पर बालिकाओं के नाम से 6 इन्टीय राष्ट्रीय बचत पत्र जारी किये जायेंगे। उक्त बचत पत्रों की फोटोप्रति परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।
- 8 बालिकाओं के पक्ष में ऐसे जर्नल किये गये राष्ट्रीय बचत पत्रों को शासन के पक्ष में निर्धारित नियमों के तहत प्लेज किया जायेगा, एवं राष्ट्रीय बचत पत्र हितग्राही को उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना अधिकारी राष्ट्रीय बचत पत्रों का विवरण पंजी में अंकित करेगा, तथा इसके साथ हितग्राहियों को योजना का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
- 9 योजना में पंजीयन के 6 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय बचत पत्र का विभाग द्वारा नवीनीकरण कराया जायेगा। ऐसा नवीनीकरण भुगतान प्रक्रिया में दर्शाए प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर देय एकमुश्त भुगतानों को घटा कर शेष राशि का नवीनीकरण किया जाएगा। कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर बगले 2 वर्ष के लिए मारिक भुगतान करने हेतु आवश्यक राशि "संचायेक" खाते में जो बालिका एवं स्कूल के प्रधानाचार्य के संयुक्त नाम से खोला जायेगा में डाकघर द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी।
- 10 पंजीयन के 12 वर्ष पूर्ण होने पर निम्न कमांक 9 के अनुसार कार्रवाही दोहराई जायेगी।
- 11 पंजीयन के 18 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय बचत पत्र की भुगतान शेष राशि तथा संचायेक खाते में शेष राशि को जिलावार आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक बालिका के नाम पर दी जायेगी। जो बालिका वं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अथवा बालिका के आवेदन पर 21 वर्ष की आयु के पूर्व ही बालिका को उस दिनांक तक देय राशि भुगतान की जायेगी।

- 14
12. पंजीयन रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख समय समय पर विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किन्हे जायेंगे ।
  13. किसी भी पता परिवर्तन की दशा में परियोजना अधिकारी द्वारा तत्काल पता परिवर्तन, पंजीयन रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा यदि नवीन पता अन्य परियोजना में स्थित है तो, संबंधित परियोजना अधिकारी को ऐसी सूचना वर्तमान परियोजना अधिकारी द्वारा दी जायेगी तथा पोस्ट मास्टर से नवीन पोस्ट आफिस में खाता स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया जाएगा नवीन पोस्ट आफिस/परियोजना क्षेत्र में शेष कियान्वयन किया जाएगा
  14. परियोजना अधिकारी योजना के कियान्वयन हेतु सक्षम अधिकारी होगा । वह राष्ट्रीय बचत पत्र/सावदी जमा राशि को प्लेज करने एवं उसे विमुक्त करने के लिए सक्षम होगा तथा जो योजना की गतिविधियों के बारे में संबंधित जिला अधिकारी, कलेक्टर एवं विभागाध्यक्ष को नियमित रूप से प्रतिवेदन भेजेगा ।
  15. योजना के कियान्वयन हेतु, आवश्यक होने पर, डकतार विभाग के सक्षम अधिकारी के साथ, करार किया जायेगा। जिनके प्रावधानों के संबंध में निर्णय हेतु प्रशासकीय विभाग सक्षम होगा !
  16. योजना का व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जायेगा। प्रचार प्रसार हेतु कुल योजना राशि का 1 प्रतिशत राशि का प्रावधान पृथक से किया जायेगा, तथा योजना राशि का 1 प्रतिशत प्रावधान पृथक से योजना के प्रभावों के अध्ययन और अभिलेखिकरण हेतु रखा जावेगा।
  17. बालिका के पंजीयन एवं उसके लिए राशि जमा करने के मात्र से ही वह बंधन नहीं होगा कि योजना बालिका के 21 वर्ष तक की आयु तक निरन्तर रखे जाय। योजना को किसी भी समय स्थगित अथवा समाप्त करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा ।

#### योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया

1. बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर रुपये 2000/- कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर रुपये 4000/- तथा कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर रुपये 7500/- एक मुश्त भुगतान किया जावेगा । तथा 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने के पश्चात अगामी 2 वर्ष के लिए रुपये 200/- प्रतिमाह का भुगतान बालिका को किया जावेगा ।
  2. बालिका की आयु 21 वर्ष की पूर्ण होने पर तथा 12वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने पर शेष एकमुश्त राशि का भुगतान किया जायेगा परन्तु यह शर्त होगी कि बालिका का विवाह, विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु के पश्चात् हुआ हो । ऐसी भुगतान की गई कुल राशि जन्म के 1 वर्ष के अन्दर पजोक्त होने वाली बालिका के लिए रु 1.00 लाख से अधिक होगी ।
  3. बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर तथा उसके बाद 12वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने पर योजना के मध्य में अर्थात् 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व ही, बालिका के आवेदन पर उस दिनांक तक देर राशि का समस्त पूर्व भुगतान किया जा सकेगा ।
- निर्धारित पात्रता शर्तों का पूर्ण न करने या बालिका हितग्राही की असामर्थता मुख्य की दशा में बालिका को देश समस्त लागू शासन को समर्पित नहीं जायेगा । यदि किसी परिवार की दो बालिकायें इस योजना के तहत हितग्राही हों, तो उनमें

15

5. से किसी एक बालिका की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उत्तरजीवी बालिका को मृत बालिका के समस्त हितलाभ स्थानांतरित हो जायेंगे। तथा दूसरी बालिका की भी असाध्यिक मृत्यु हो जाने की दशा में बालिकाओं को देय समस्त हितलाभ शासन को समर्पित समझे जायेंगे।
6. योजना के लिए, बालिका की संरक्षक, माँ होगी, माँ के निधन की दशा में पिता एवं पिता के निधन की दशा में विधिक संरक्षक योजना के लिए संरक्षक होगा, अनाथ बालिका की दशा में संबंधित अनाथालय/बाल संरक्षण गृह का अधीक्षक इस योजना के लिए संरक्षक होगा।
7. आयुक्त/संचालक, महिला बाल विकास विभाग, सक्षम प्राधिकारी होंगे। आयुक्त/संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग उक्त योजना के लिए हितग्राहियों की ओर से अल्पबचत ऐजेन्ट के रूप में कार्य करेंगे ऐजेन्ट के रूप में आयुक्त/संचालक जो कोई राशि प्राप्त होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/राज्यिकाओं को हितग्राहियों की संख्या के आधार पर वितरित की जायेगी।

#### आवश्यक प्रमाण पत्र

- आवेदन के समय, बालिका के माता/पिता के मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना संबंधित ग्राम अथवा वार्ड में निवासरत रहने, बालिका के जन्म दिनांक, बालिका के माता पिता के द्वारा परिवार नियोजन अपनाने, बालिका के आंगनबाड़ी में पंजीकृत होने के संबंध में सत्यापन ऐसे प्रारूप में ऐसा कि विभाग द्वारा निश्चित किया जाय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जायेगा।
- अन्तिम भुगतान के समय कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने तथा निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने का प्रमाण पत्र हितग्राही द्वारा परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

#### योजना कियान्वयन की समीक्षा

- योजना की समीक्षा के लिए प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में एक स्थाई सशक्त समिति गठित की जायेगी, जिसमें सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, प्रतिनिधि डाकदार विभाग, सदस्य एवं आयुक्त/संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सदस्य सहित रहेंगे। समिति योजना की शर्तों, नियमों में संशोधन तथा सुधार, योजना के अन्तर्गत अंशदान की राशि का पुनरीक्षण, योजना की निरन्तरता/समाप्ति के संबंध में अनुशंसा करने हेतु सक्षम होगी। योजना के किसी भी नियम एवं शर्त के निर्वहन के संबंध में राज्य स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर, योजना के कियान्वयन की समीक्षा कर समीक्षा करों और आवश्यकता अनुसार समीक्षा प्रत्येक विभाग/व्यक्ति को संबोधित करेंगे। समीक्षा रिपोर्टों में योजना के संबंध में, किसी प्रकार की विषमता

16

प्रतिवेदित होने की स्थिति में विभागाध्यक्ष राज्य स्तरीय समीक्षा समितियों के अध्यक्षों के साथ प्रस्तुत करेगा।

परियोजना कार्यालय में पंजीकृत कम से कम पाँच प्रतिशत हितग्राहियों की जाँच विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष ऐसी रीति से की जाएगी जैसी कि विभागाध्यक्ष समय समय पर निर्धारित करें।

योजना के क्रियान्वयन के संवध में प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही और विभिन्न स्तरों पर रखे जाने वाले अभिलेखों के संवर्धन में विस्तृत निर्देश समय समय पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(पी.नरेश्वरी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

भोपाल

भोपाल दिनांक 03.03.07

पृ. क्र. 3-11/2007/50-2  
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल।
3. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला महिला बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
8. समस्त परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
9. समस्त प्रमोदी अधिकारी, सार्वजनिक अनाथ आश्रम/अनाथालय/बाल संरक्षण मठ की ओर सूचनार्थ।

(पी.नरेश्वरी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल

95

“बेटी है, तो कल है”

**मध्यप्रदेश शासन**  
**महिला एवं बाल विकास विभाग**  
**मंत्रालय**

क/एफ/152/PSW/C/D/2011

भोपाल, दिनांक 12/12/2011

प्रति,

1. कलेक्टर (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)  
जिला – समस्त म.प्र.
2. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी  
(प्रथम अपीलीय अधिकारी) मध्यप्रदेश ।
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी (पदाभिहित अधिकारी)  
एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (म.प्र.)

विषय— मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत लाडली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश ।

संदर्भ— लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24.9.2011 में शामिल सेवा क्रमांक 14.1

1. लाडली लक्ष्मी योजना 01 अप्रैल, 2007 से प्रारम्भ की गई है । इस योजना का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय मानकों के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश राज्य में महिलाओं से संबंधित संकेतक लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखी जाये ।
2. इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।
3. पात्रता की शर्तें—
  - बालिका के माता/पिता, मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए ।
  - ऐसे माता-पिता, जिनकी अधिकतम दो संतान हो तथा जिन्होंने योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन करने के पूर्व परिवार नियोजन अपना लिया हो या प्रथम जीवित संतान कन्या हो और द्वितीय संतान न हुई हो तो बिना परिवार नियोजन अपनाए ।
  - बालिका के जन्म के एक वर्ष के अन्दर आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।
  - बालिका के माता/पिता आयकरदाता न हों ।
  - बालिका के जन्म के एक वर्ष के अन्दर आँगनवाड़ी केन्द्र में पंजीयन होना चाहिए ।

#### 4. विशेष प्रकरणों में पात्रता—

- अनाथ बालिका की दशा में संबंधित अनाथालय/संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा बालिका के अनाथालय में प्रवेश के 01 वर्ष के अन्दर और बालिका की आयु 06 वर्ष होने के पूर्व संबंधित परियोजना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसी बालिका के लिए जन्म दिनांक वह मानी जायेगी, जो अनाथालय/संरक्षण गृह में प्रवेश के समय अंकित की गई हो।
- बालिका किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो, एवं जिसकी आंगनवाड़ी में उपस्थिति साधारणतः नियमित हो। उन ग्रामों में जहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत एवं संचालित नहीं हो सके हैं, ऐसे ग्रामों में नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र के स्वीकृत होने तक पात्र बालिकाओं का पंजीकरण ग्राम के सबसे समीप की आंगनवाड़ी केन्द्र में किया जायेगा।
- प्रथम बालिका होने की स्थिति में उस बालिका को परिवार नियोजन की शर्त के बगैर लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जायेगा। किन्तु, दूसरे प्रसव पर कन्या होने पर परिवार नियोजन की शर्त यथावत् रहेगी।
- किसी परिवार ने यदि किसी बालिका को वैधानिक रूप से दत्तक लिया है, उसे प्रथम बालिका मानते हुए लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जायेगा।
- यह भी कि दो संतान हो जाने के बाद भी यदि परिवार नियोजन नहीं अपनाता है तो भी प्रथम बालिका को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता रहेगा।
- जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस परिवार के लिए परिवार नियोजन अनिवार्य शर्त नहीं होगी। किन्तु, इसके लिए पति अथवा पत्नी की मृत्यु का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस परिवार के लिए बच्ची के जन्म के पांच साल होने तक भी पंजीकरण कराया जा सकता है, परन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में पति की मृत्यु के उपरान्त यदि महिला की दूसरी शादी होती है तथा महिला के पूर्व से ही दो बच्चे हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जिस परिवार में प्रथम बालक अथवा बालिका है तथा द्वितीय प्रसव पर दो जुड़वा बच्चियां जन्म लेती हैं तो उन मामलों में जुड़वा बच्चियों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
- प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन लड़कियां होने पर तीनों बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।

- ऐसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के एक वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं, उन्हें यह सुविधा होगी कि आगामी 01 वर्ष की अवधि अर्थात् बालिका के जन्म के 2 वर्ष के अन्दर अपील संबंधित जिले के कलेक्टर को कर सकेंगे। अपील में देर से आवेदन प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट किया जावेगा। संबंधित कलेक्टर गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कर अपील मान्य करते हुए पंजीयन हेतु आगामी 01 वर्ष की अवधि में आवेदन देने अथवा देरी के कारणों से संतुष्ट न होने पर अपील अमान्य कर सकेंगे। यह आदेश दिनांक 01.04.2007 से प्रभावशील माने जायेंगे अर्थात् दिनांक 01.04.2007 के बाद देरी के कारण अमान्य किये गये आदेश के संबंध में अभिभावकगण कलेक्टर को अपील प्रस्तुत कर सकेंगे।


#### 5. प्रक्रिया-

- आवेदन प्राप्त होते ही पदाभिहित अधिकारी (परियोजना अधिकारी) आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में पावती देंगे तथा अपने क्षेत्रीय अमले के माध्यम से आवेदन की पूर्ण जांच उपरान्त पात्र पाये जाने पर स्वीकृति आदेश जारी करेगा। उक्त कार्यवाही अधिकतम 30 कार्य दिवस में संपादित की जायेगी।
- यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो अस्वीकृति की लिखित सूचना कारण सहित आवेदक को दी जाना अनिवार्य है, जिससे वह असंतुष्टि की स्थिति में सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकें।
- यदि आवेदक प्रचलित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रस्तुत करता है, तो कार्यकर्ता परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों का आवेदन स्वीकृति हेतु परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। तदोपरांत स्वीकृति संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी। ऐसी स्थिति में समय-सीमा उस दिनांक से लागू होगी, जिस दिनांक को आवेदन पत्र पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है।

#### 6. संलग्न दस्तावेज -

- बालिका के जन्म दिनांक से संबंधित जन्म प्रमाण -पत्र।
- मूल निवासी संबंधी दस्तावेज (राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आदि)
- बालिका के आंगनवाड़ी में पंजीकृत होने के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सत्यापन।
- प्रकरण में पात्रता की शर्तों के अनुसार बालिका के माता-पिता परिवार नियोजन अपनाये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र।

7. आवेदक को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे अभिरक्षीकृति लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा -5 (1) के अंतर्गत प्रदाय की जावेगी। अभिरक्षीकृति का प्राश्य संलग्न है। (परिशिष्ट -2)
8. अधिसूचित सेवाओं के आवेदन पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शारित की वसूली तथा प्रतिकार का भुगतान) नियम 2010 के नियम -16 में निर्धारित पंजी का संघारण किया जाना चाहिए। एक ही आवेदन को पृथक-पृथक पंजियों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा (परिशिष्ट-3)।
9. आवेदन पत्र लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे, ताकि आवश्यकतानुसार उसे एस.एम.एस. अलर्ट किया जा सके।
10. आवेदन प्राप्त होते के पश्चात् संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच एवं स्थल निरीक्षण के उपरांत नियमानुसार आवेदक को लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति 30 कार्य दिवस में प्रदाय की जावेगी। आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (2) के अंतर्गत कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित किया जावेगा।
11. इस सेवा के लिए संदर्भित अधिसूचना अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला बाल विकास अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।
12. प्रथम अपील के निराकरण की समय-सीमा 15 कार्य दिवस होगी।



(बी.आर.नायडू)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग




पृ.क./एफ. 153/PSWCD/2011

भोपाल, दिनांक 12/12/2011

प्रतिलिपि :-

1. मान. मुख्यमंत्री जी के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त मुख्य कार्यपाल अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश ।



प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

## Annexure-II: Revised LLY-FAQ

### लाडली लक्ष्मी योजना का नवीन स्वरूप

क्रमांक	विवरण	पूर्व प्रक्रिया	नवीन प्रक्रिया
1.	आवेदन प्रक्रिया	आंगनवाडी केन्द्र / लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन किया जाता है।	आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय / लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन / रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
2.	आवेदन की स्वीकृति	प्राप्ति रसीद प्रदाय की जाती थी। जो परियोजना अधिकारी द्वारा 30 कार्यदिवस में प्रदाय की जानी थी।	प्रकरण स्वीकृति हेतु अपलोडेड दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराने के उपरांत प्रकरण तुरंत स्वीकृत अथवा अस्वीकृत।
3	प्रमाण-पत्र	रु 6-6 हजार की 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष एन एस सी प्रदाय की जाती थी।	प्रकरण स्वीकृति उपरांत रूपये 1,18,000/- का प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है।
4	राशि के भुगतान की प्रक्रिया	संचायिका के माध्यम से की जाना प्रस्तावित थी।	ई पेमेंट के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में।

5	अंतरिम राशि	<p>कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर –रूपये 2000 /–,</p> <p>9वीं में प्रवेश पर –रूपये 4000 /–,</p> <p>11वीं में प्रवेश पर रूपये 7500 /–</p> <p>कक्षा 11वीं व 12वीं में रू. 200 /– प्रतिमाह प्राप्त होती है।</p>	<p>कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर –रूपये 2000 /–,</p> <p>कक्षा 9 वीं में प्रवेश पर –रूपये 4000 /–,</p> <p>कक्षा 11वीं में प्रवेश पर –रूपये 6000 /–</p> <p>कक्षा 12वीं में प्रवेश पर –रूपये 6000 /–</p>
6	अंतिम भुगतान	<p>लगभग रूपये 1 लाख, बालिका का विवाह 18 व र्ष की आयु पूर्व न होने व कक्षा 12 वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने की शर्त पर प्राप्त होंगे।</p> <p>उक्त राशि बालिका 18 व र्ष की आयु उपरांत भी प्राप्त कर सकती है, किंतु तत्समय तक परिपक्व राशि ही उसे प्राप्त होगी।</p>	<p>बालिका को उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख की राशि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्व न होने व कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने की शर्त पर ई-पेमेंट के माध्यम से</p>
7	भुगतान हेतु निवेश	पोस्ट आफिस में	मध्यप्रदेश शासन द्वारा “मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि” का गठन

## प्रश्नावली

प्रश्न:- लाडली लक्ष्मी योजना के लिये कौन पात्र हैं ?

उत्तर:- पात्रता-

1. हितग्राही के माता पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना चाहिये।
2. माता पिता आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
3. यदि हितग्राही परिवार की द्वितीय संतान है तो परिवार को आवेदन पूर्व परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा। किंतु यदि प्रथम संतान है तो उसे परिवार नियोजन की शर्त के बिना योजना का लाभ दिया जा सकता है किंतु द्वितीय संतान के जन्म के एक वर्ष के अंदर परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन बालिका के जन्म के एक वर्ष के पूर्व किया जाना होगा व आवेदन पूर्व बालिका का पंजीयन निकटस्थ आंगनवाडी केन्द्र में कराया जाना होगा साथ ही आंगनवाडी में उपस्थिति नियमित होना चाहिये।

प्रश्न:- लाभ लेने के लिये क्या किया जाना होगा ?

उत्तर:- आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफ में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन के 15 कार्यदिवस में समस्त अभिलेख परियोजना अधिकारी/विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी से वेरिफाईड कराने होंगे।

प्रश्न:- आवेदन हेतु कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे?

उत्तर:- निम्न दस्तावेज अपलोड किये जाने होंगे:-

1. माता पिता के साथ बालिका का फोटो.
2. मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाणपत्र.
3. बालिका का जन्म प्रमाणपत्र.
4. परिवार नियोजन का प्रमाण पत्र। (द्वितीय बालिका की स्थिति में)

5. आंगनवाडी केन्द्र में बालिका का पंजीयन कर्मांक व बालिका के टीकाकरण की जानकारी उल्लेखित करनी होगी।

प्रश्न:— यदि प्रथम प्रसव पर दो या तीन बालिकाएँ जुडवा होती हैं तो क्या समस्त बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जा सकता है?

उत्तर:— जी हां । समस्त बालिकाएँ योजना के लिये पात्र हैं।

प्रश्न:— यदि द्वितीय प्रसव पर दो या तीन बालिकाएँ जुडवा होती हैं तो क्या समस्त बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जा सकता है?

उत्तर:— जी हां । समस्त बालिकाएँ योजना के लिये पात्र हैं। किंतु लाभ लेने के पूर्व परिवार को परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा।

प्रश्न:— यदि किन्हीं विशेष कारणों से बालिका के जन्म के 1 वर्ष में आवेदन नहीं किया जा सका तो क्या योजना का लाभ लिया जा सकता है?

उत्तर:— ऐसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के 01 वर्ष के अंदर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं उन्हें यह सुविधा होगी कि आगामी 01 वर्ष की अवधि अर्थात् बालिका के जन्म से 02 वर्ष के अंदर अपील संबंधित जिले के कलेक्टर को कर सकेंगे। अपील में देर से आवेदन प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट किया जावेगा। कलेक्टर गुण दोष के आधार पर परीक्षण कर अपील मान्य या अमान्य कर सकेंगे।

प्रश्न:— क्या महिला कैदियों से जन्मी बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जा सकता है?

उत्तर:— हां जेल में बंद महिला कैदियों से जन्मी पात्र बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।

प्रश्न:— गोद ली गई बालिका को कब तक योजना का लाभ दिया जा सकता है?

उत्तर:— विधि सम्मत प्रक्रिया से गोद ली गई बालिका को प्रथम बालिका मानते हुए बालिका की आयु 6 वर्ष होने तक योजना का लाभ दिया जा है। किंतु परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिये।

प्रश्न:— बालिका के माता अथवा पिता की मृत्यु होने पर क्या परिवार नियोजन अनिवार्य होगा?

उत्तर:— जिस परिवार में अधिकतम दो संतानें हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई हो उस परिवार की बच्ची के जन्म के 05 वर्ष होने तक योजना का लाभ दिया जा सकता है। किंतु इस प्रकार के प्रकरणों जहां महिला अथवा पुरुष की दूसरी शादी होती है व पूर्व से ही 02 बच्चे हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पात्र हितग्राही को लाभ प्रदाय किये जाने के लिये माता/पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।

प्रश्न:— परिवार नियोजन विलंब से कराने की स्थिति में क्या योजना का लाभ लिया जा सकता है?

उत्तर:— यदि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से परिवार 01 वर्ष के अंदर परिवार नियोजन नहीं अपना पाया है तो वे बालिका के जन्म के 02 वर्ष अंदर परिवार नियोजन अपनाते हुए जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कलेक्टर गुण दोष के आधार पर परीक्षण कर अपील मान्य या अमान्य कर सकेंगे।

प्रश्न:— पूर्व से ही लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये क्या किया जाना होगा?

उत्तर:— पूर्व से ही पंजीकृत हितग्राहियों को अब तक प्राप्त एन एस सी कार्यालय में जमा करनी होगी जिसके स्थान पर उन्हें एक प्रमाणपत्र प्रदाय किया जायेगा। जिसके आधार पर उन्हें समय समय पर योजना का लाभ प्राप्त होगा।

प्रश्न:— यदि हितग्राही की एन एस सी गुम हो गई है तो वह प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त कर सकेगा?

उत्तर:— यदि एन एस सी गुम हो गई है तो हितग्राही को डुप्लीकेट एन एस सी जारी करवाकर जमा करनी होगी। तदुपरांत प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा।

प्रश्न:— क्या हितग्राही को पूर्व एन एस सी की भांति 5 प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे?

उत्तर:— नहीं। मात्र एक प्रमाणपत्र ही प्राप्त होगा जिसमें हितग्राही को समय समय पर मिलने वाले समस्त हितलाभों की जानकारी अंकित होगी।

प्रश्न:— बालिका हितग्राही को योजना से मिलने वाली अंतरिम राशि किस प्रकार प्राप्त होगी?

उत्तर:— अंतरिम राशि के भुगतान हेतु बालिका हितग्राही को समय समय पर विभिन्न कक्षा में प्रवेश, आधारकार्ड कमांक, समग्र आई डी, बैंक का विवरण दिया जाना होगा। जिससे हितग्राही के बैंक खाते में राशि सीधे ई-पेमेंट के माध्यम से जमा की जा सकेगी।

प्रश्न:— क्या जिन प्रकरणों में आवेदन समय पर कार्यालय में जमा किया गया था किंतु कार्यालयीन त्रुटि से बालिका को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका क्या अब उस बालिका को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है?

उत्तर:— ऐसे प्रकरणों में विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी/परियोजना अधिकारी के माध्यम से आवेदन संबंधित जिला कलेक्टर को की जा सकती है। कलेक्टर गुण दोष के आधार पर परीक्षण कर आवेदन मान्य या अमान्य कर सकेंगे।

# Annexure-III: LLY Revised guidelines

मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल

क्रमांक / 2201 / 1637 / 2013 /

भोपाल, दिनांक 03 / 10 / 2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर (द्वितीय अपीलीय अधिकारी )

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी

समस्त जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ( प्रथम अपीलीय अधिकारी )

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी ( पदाभिहित अधिकारी )

विषय:- महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवा क्र० 14.1 लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24.09.2011 में शामिल सेवा क्रमांक पी.एस.जी-14 के संबंध में निर्देश।

## 1. सेवा का उद्देश्य :-

1.1 लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य प्रदेश में बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखी जाना है।

1.2 इस योजनातर्गत आगनवाडी कार्यकर्ता का यह दायित्व है कि आगनवाडी में पंजीकृत गर्भवती महिला के प्रसव के तत्काल पश्चात कन्या जन्म होने पर पात्रतानुसार लाडली लक्ष्मी योजना का आवेदन तैयार कर पर्यवेक्षक के माध्यम से पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करें।

1.3 लोक सेवा गारंटी का उद्देश्य उपरोक्त पैरा अनुसार कार्यवाही न होने पर कन्या के पालकों को समय सीमा में लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ प्रदान कराना है।

2. पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा:- इस सेवा के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी पदाभिहित अधिकारी होंगे। आवेदन लोक सेवा केन्द्र पर या परियोजना अधिकारी (पदाभिहित अधिकारी) के पास प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्यदिवस के अंदर सेवा प्रदाय की जायेगी।



**3. आवेदन पत्र का प्रारूप:**—इस सेवा के लिए आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप(परिशिष्ट—एक) में दिया जायेगा।

**4. पात्रता की शर्तें:**—1 जनवरी 2006 के उपरांत मध्यप्रदेश में जन्मी बालिकाओं को लाभ दिया जायेगा। पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. बालिकाओं के माता/पिता, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होना चाहिए।
2. बालिका के जन्म के एक वर्ष के अन्दर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीयन होना अनिवार्य है।
4. ऐसे माता/पिता, जिनकी अधिकतम दो संतान हो तथा जिन्होंने योजना में पंजीयन हेतु आवेदन करने के पूर्व परिवार नियोजन अपना लिया हो।
5. बालिका के माता/पिता आयकरदाता न हों।

**6. विशेष प्रकरणों के संबंध में—**

1. **प्रथम बालिका के संबंध में:**—01 अप्रैल 2008 के बाद जन्मी प्रथम बालिका के संदर्भ में उस बालिका को परिवार नियोजन की शर्त के बगैर लाइली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जायेगा, किन्तु दूसरे जीवित प्रसव पर परिवार नियोजन की शर्त यथावत रहेगी।
2. **विलंब से किये आवेदन के संबंध में:**—ऐसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के एक वर्ष के अन्दर चिकित्सकीय कारणों से परिवार नियोजन नहीं अपनाते हैं उन्हें यह सुविधा होगी कि वो बालिका के जन्म के 02 वर्ष के अन्दर संबंधित जिले के कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। विलंब से किये गये आवेदन प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट किया जावेगा। कलेक्टर विलंब के कारण का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कराकर आवेदन मान्य/अमान्य कर सकेंगे।
3. **अनाथ बालिका के संबंध में:**—ऐसी बालिकाओं की दशा में संबंधित अनाथालय/संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा आवेदन दिया जाता है। अधीक्षक को बालिका के अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अन्दर और बालिका की आयु के 6 वर्ष के पूर्व संबंधित परियोजना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसी बालिका के लिए जन्म दिनांक वह मानी जावेगी, जो अनाथालय/संरक्षण गृह में प्रवेश के समय अंकित की गई हो।
4. **जुड़वा बच्चों के संबंध में:**— जिस परिवार में प्रथम बालक अथवा बालिका है तथा द्वितीय प्रसव पर दो जुड़वा बच्चियां जन्म लेती हैं तो उन मामलों में जुड़वा बच्चियों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन बच्चियां होने पर तीनों बच्चियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

5. **महिला कैदियों के संबंध में:**— जेल में बन्द महिला कैदियों से जन्मी पात्र बालिकाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
6. **दत्तक बालिका के संबंध में:**— किसी परिवार में यदि किसी बालिका को वैधानिक रूप से दत्तक लिया है, उसे प्रथम बालिका मानते हुये योजना का लाभ दिया जायेगा।
7. **माता अथवा पिता की मृत्यु के संबंध में :**— जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है उस परिवार की बच्ची के जन्म के पाँच वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रकरणों में यदि महिला/पुरुष की दूसरी शादी होती है, तथा पूर्व से ही दो बच्चे हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

**5. आवश्यक दस्तावेज :-**

- (i) जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- (ii) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- (iii) प्रकरण में पात्रता की शर्त के अनुसार अधिकृत चिकित्सक द्वारा बालिका के माता अथवा पिता द्वारा परिवार नियोजन अपनाये जाने संबंधी प्रमाण पत्र
- (iv) माता के साथ बालिका का वर्तमान का फोटो
- (v) आयकरदाता न होने के संबंध में स्वयं का घोषणा पत्र
- (vi) निवास की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र (राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/बिजली बिल/बैंक पास बुक/लाइसेंस/ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र)

**6. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत होने पर निराकरण की प्रक्रिया:-**

- 1 सेवा प्राप्त करने के लिये कण्डिका 3 में बताये अनुसार संलग्न प्रारूप एवं कण्डिका 5 में दर्शाये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा गारंटी अधिनियमकी धारा 5(1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-दो) में दी जायेगी।
- 3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा का उल्लेख किया जावेगा। यदि आवेदन अपूर्ण है तो समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जावेगा परंतु जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं उनका उल्लेख अभिस्वीकृति में किया जावेगा।

- 4 आवेदन लेते समय आवेदक के मोबाईल नं. का भी उल्लेख कराया जावे।
  - 5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवा के प्रदान की गारंटी (आवेदन,अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी में संलग्न (परिशिष्ट-4) किया जायेगा। एक ही आवेदन का पृथक-पृथक पंजियों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।
  - 6 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परंतु निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा।
  - 7 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित आवेदक को लिखित में दी जावेगी।
- 7. लोक सेवा केंद्र स्तर पर सेवा प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया:-**
- 1 आवेदन ऑनलाईन दर्ज किया जायेगा एवं कण्डिका 5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा। दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।
  - 2 आवेदन लेते समय आवेदक का मोबाईल नं. एवं ई-मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जावे।
  - 3 ऑनलाईन आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर आवेदक के हस्ताक्षर लिये जायेंगे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को संलग्न किया जायेगा। इस तरह हार्डकॉपी को पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रतिदिन अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस मेंविशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।
  - 4 ऑनलाईन आवेदन प्रविशिष्ट होने के साथ ही साफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन प्रविशिष्ट होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा साफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूटे गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा। आवेदन प्रविशिष्ट होने के बाद पावती ऑपरेटर द्वारा आवेदक को दी जावेगी।
  - 5 लोक सेवा केंद्र पर आवेदन ऑनलाईन प्रविशिष्ट होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउन्ट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जायेगा।
  - 6 पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवश्यक जॉब उपरांत एवं पात्रतानुसार आवेदक को स्वीकृति पत्र जारी करेगा। यह समस्त कार्यवाही यथाशीघ्र परंतु समय सीमा में की जायेगी।
  - 7 सेवा प्रदाय करने के लिये सेवा प्रदाय संबंधी आदेश पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अतः पदाभिहित अधिकारी को स्याही से हस्ताक्षरित आदेश लोक सेवा केंद्र पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। लोक सेवा केंद्र संचालक पदाभिहित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी स्वीकृति आदेश की कॉपी साफ्टवेयर से प्रिंटआउट निकालकर आवेदक को उपलब्ध करायेंगे।

- 8 यदि पदाभिहित अधिकारी यह पाता है कि कतिपय कारणों से आवेदन स्वीकृत नहीं किया जा सकता तो वह लिखित में कारण दर्शाते हुये आवेदन पत्र निरस्त करेगा एवं इसकी सूचना लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदक को डिजीटल हस्ताक्षर से देगा।

#### 8. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया:—

- 1 सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदक आवेदन सीधे पदाभिहित अधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी) को या संबंधित लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
- 2 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका-6 एवं लोक सेवा केन्द्र में कंडिका-7 के अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 3 आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी आवेदन को संबंधित पर्यवेक्षक को जॉच हेतु प्रेषित करेगा। संबंधित पर्यवेक्षक आगनवाँडी कार्यकर्ता के माध्यम से आवेदन के संबंध में आवश्यक जॉच उपरांत प्रकरण तैयार कर 15 कार्य दिवस के अंदर स्वीकृति हेतु पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- 4 संबंधित पदाभिहित अधिकारी उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृति आदेश जारी करेगा। स्वीकृति आदेश का प्रारूप (परिशिष्ट-3) पर जारी किया जायेगा। उपरोक्त समस्त कार्यवाही यथाशीघ्र परंतु समय सीमा (30 कार्य दिवस) में पूर्ण की जायेगी।
- 5 पदाभिहित अधिकारी द्वारा लाइली लक्ष्मी योजना अंतर्गत स्वीकृतहितग्राहियों की स्वीकृति क्रमानुसार एक पंजी संधारित की जायेगी एवं क्रमानुसार हितग्राहियों को एन. एस.सी. तैयार कर संबंधित हितग्राही को प्रदाय किया जायेगा।
- 6 आवेदन अस्वीकृत करने की स्थिति में भी तदाशय का आदेश कारण सहित आवेदक को लिखित में दिया जायेगा। यदि आवेदक कारण से असंतुष्ट हो तो सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेंगे।

#### 8. शुल्क के संबंध में:—

- 1 इस सेवा को प्राप्त करने के लिये कोई विभागीयशुल्क देय नहीं है।
- 2 यदि आवेदक लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करता है तो लोक सेवा केंद्र द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क रु. 30/- जमा करना होगा।

## 9. आदेश/निर्देशों का अधिक्रमण :-

परिपत्र क्रमांक एफ/152/PSWCD/2011दिनांक12.12.2011  
एतद् द्वारा उपरोक्त निर्देश अधिक्रमित किये जाते हैं।

## 10. अपील:- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा:-

आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर


अथवा

आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर

अपील निम्नानुसार की जा सकेगी:-

**प्रथम अपील**-इस सेवा हेतु जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे। अपील निराकृत करने के लिये निर्धारित समय-सीमा 15 कार्यदिवस होगी।

**द्वितीय अपील**-प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।



(बी. आर. नायडू)

प्रमुख सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग  
मध्यप्रदेश

2202

पृ/क्र.एफ/1637/2013-150-2

भोपाल दिनांक 03/10/2013

प्रतिलिपि:-


1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन भोपाल।
4. संभागायुक्त समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा/महिला सशक्तिकरण भोपाल।

1219  
2/10/13

क्र./सं. म.स.	3612
दिनांक	5.10.13

JD (R) . 6  
K

6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा/संभागीय उप संचालक, महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश।
8. जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा जिला समस्त, म.प्र.।



प्रमुख सचिव  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-‘एक’

“बेटी है तो कल है”

प्रथम/द्वितीय/विशेष प्रकरण

“लाड़ली लक्ष्मी योजना”

“लाड़ली लक्ष्मी योजना” के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,

परियोजना अधिकारी,

परियोजना .....

जिला .....

मध्यप्रदेश.

फॉर्म-1

बालिका का  
फोटोग्राफ  
अभिभावक के  
साथ

मैं अपनी पुत्री/आश्रम की बालिका कु..... का पंजीकरण (प्रथम संतान/द्वितीय संतान/विशेष प्रकरण) “लाड़ली लक्ष्मी योजना” में कराना चाहता/चाहती हूँ, इसके लिए विवरण निम्नलिखित है :-

(1)	(2)	(3)
1	बालिका का नाम	
2	बालिका का जन्म दिनांक	
3	बालिका की माता का नाम	
4	बालिका की माता की आयु	
5	बालिका के पिता का नाम	
6	बालिका के पिता की आयु	
7	बालिका के भाई बहनों की संख्या (बालिका को छोड़कर)	
8	बालिका की बहन/भाई का नाम	
9	बालिका की बहन/भाई का जन्म दिनांक	
10	क्या बालिका की बहन भी हितग्राही है	हां/नहीं
11	बालिका के माता/पिता के निवास का पूर्ण पता— मकान क्रमांक.....वाड़/ग्राम..... आंगनवाड़ी केन्द्र.....तहसील..... जिला.....पिनकोड.....	
12	आंगनवाड़ी क्षेत्र में कब से निवास करते हैं	जन्म से/गत .....वर्षों से
13	पोस्ट आफिस का नाम जिससे राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किया जाता है	
14	बालिका के पिता/माता में परिवार नियोजन किसने अपनाया है	माता/पिता/लागू नहीं
15	परिवार नियोजन अपनाने का दिनांक	
16	आवेदक का वर्ग (सामान्य/अ.ज./अ.ज.जा./पि.वर्ग)	
17	आवेदक की अनुमानित वार्षिक आय	
18	क्या बालिका के माता-पिता आयकर-दाता हैं	हैं/नहीं
19	क्या बालिका के माता-पिता बीपीएल कार्डधारक हैं	हैं/नहीं

### आवेदक का प्रमाण-पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि, मैं आयकर-दाता नहीं हूँ एवं मेरे द्वारा दिये गये उक्त सभी तथ्य सही हैं, अगर इन तथ्यों में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति या झूठ पाया जाता है तो उसके लिये मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ और मुझे प्राप्त समस्त लाभ सरकार को वापिस देने के लिए सहमत हूँ.
- कोई विसंगति या झूठ पाए जाने पर मेरे द्वारा दिया गया आवेदन-पत्र किसी भी समय रद्द किया जा सकता है.
- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा किसी भी अन्य आंगनवाड़ी केन्द्र से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

मोहाडोल नम्बर - - - - -

हस्ताक्षर.....

### आवेदक का घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि—

- मेरे परिवार द्वारा द्वितीय संतान के जन्म उपरान्त परिवार नियोजन अपना लिया जावेगा/मेरे परिवार द्वारा परिवार नियोजन अपना लिया गया है.
- अपनी पुत्री को नियमित रूप से आंगनवाड़ी में भेजूंगा/भेजूगी तथा निरंतर पढ़ाऊंगा/पढ़ाऊंगी-लिखाऊंगा/लिखाऊंगी.
- मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि, अपनी पुत्री कु. .... का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष के पश्चात् ही करूंगा/करूंगी.
- मैंने योजना की शर्तों को भली-भांति समझ लिया है, यदि मेरी पुत्री पात्रता शर्तों का पालन करने में विफल रहती है तो उसके नाम से क्रय किए गए/नवीनीकृत किए गए राष्ट्रीय बचत पत्र शासन वापस लेने हेतु अधिकृत होगा.
- बालिका की मृत्यु अथवा पात्रता शर्तों के पालन न कर पाने की स्थिति में तत्काल सूचना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दूंगा/दूंगी.

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

मोहाडोल नम्बर - - - - -

हस्ताक्षर.....

### दत्तक लेने वाले परिवार द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा अनाथ बालिका कु. ....

पिता/संस्था..... का जन्म दिनांक..... को वैधानिक रूप से दत्तक

लिया गया है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है.

दिनांक.....

दत्तक लेने वाले माता/पिता.....

आवेदक का नाम.....

मोहाडोल नम्बर - - - - -

हस्ताक्षर.....



आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रपत्र  
आवेदन-पत्र के साथ निम्नानुसार फार्म एवं दस्तावेज संलग्न किये जायें

1. राष्ट्रीय वचत पत्र क्रय के लिए भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन व फोटो अभिभावक के साथ (पांच प्रति) में.
2. पत्र को शासन को प्लेज करने के लिए हस्ताक्षरित आवेदन (पांच प्रति) में.
3. आवेदक के मूल निवासी होना, परिवार नियोजन अपनाना, के संबंध में कोई दस्तावेज/प्रमाण-पत्र.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....  
पत्नी श्री.....गांव.....  
परियोजना.....जिला.....की  
पुत्री कुमारी.....का जन्म दिनांक.....  
है तथा बालिका योजना के लिए पात्र है. बालिका का नाम आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक.....में  
रजिस्टर के क्रमांक.....दिनांक.....पर पंजीकृत है तथा प्रमाणित किया जाता है कि  
बालिका परिवार में जन्मी प्रथम सन्तान है अथवा बालिका के पिता/माता ने परिवार नियोजन अपना लिया है और  
बालिका के माता पिता के दो ही जीवित सन्तान है यह भी प्रमाणित किया जाता है कि बालिका के माता-पिता  
मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं.

नाम.....

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता  
के हस्ताक्षर.

प्रमाणित  
सेक्टर सुपरवाइजर

प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम/बाल संरक्षण गृह द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी.....संस्था.....  
में दिनांक.....से पंजीकृत है. पंजीकरण के समय उसको जन्म दिनांक लगभग.....  
अंकित की गई है तथा बालिका योजना के लिए पात्र हितग्राही है.

प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम/बाल संरक्षण  
गृह का नाम एवं हस्ताक्षर.

बाल विकास परियोजना अधिकारी का स्वीकृति आदेश

उक्त दिये गये तथ्यों के आधार पर कु.....पुत्री श्रीमती.....  
पत्नी श्री.....निवासी.....  
परियोजना.....जिला.....के नाम 6000/- रु. के राष्ट्रीय  
वचत पत्र 5 वर्षों तक खरीदने की स्वीकृति दी जाती है. बालिका का नाम योजना के हितग्राही रजिस्टर के क्रम  
संख्या.....पर पंजीकृत है.

नाम एवं हस्ताक्षर,  
बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
परियोजना.....  
जिला.....

परिशिष्ट-‘दो’

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5(1) के अंतर्गत  
अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का .....  
नाम एवं पता .....

1. आवेदक का नाम एवं पता/ मोबाईल नम्बर .....
2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक .....
3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है .....
4. उन दस्तावेजों का विवरण, जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है, किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं। .....
5. निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख .....

स्थान .....  
दिनांक .....

प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर  
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट: आवेदक के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-5 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जावेगी ।

परिशिष्ट- 'तीन'

बाल विकास परियोजना अधिकारी का स्वीकृति आदेश

कुमारी .....पुत्री श्री .....

पत्नि श्रीमति ..... निवासी ग्राम.....

परियोजना.....जिला.....के

नाम से 'लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बालिका का नाम परियोजना के हितग्राही रजिस्टर के क्रम संख्या .....पर पंजीकृत है। अगामी कार्यवाही हेतु संबंधित कार्यालय में संपर्क करें।

नाम व हस्ताक्षर.....

बाल विकास परियोजना अधिकारी

परियोजना कार्यालय का पता.....

.....

जिला.....

परिशिष्ट-‘चार’

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 नियम 16 के अंतर्गत

पदभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप पदभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम.....

माह ..... वर्ष .....

क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा, जिसके लिये आवेदन दिया गया है	निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख	आवेदन स्वीकृत/निरस्त	परित आदेश का दिनांक एवं विवरण

# Annexure-IV: Ladli Laxmi Fund

## मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्र. एफ/3-11/2007/50-2  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20-5-15

जिला महिला सशक्तिकरण,  
महिला सशक्तिकरण,  
सर्व संबंधित, म.प्र.

विषय :- लाडली लक्ष्मी योजना गठित निधि में राशि के अंतरण एवं संचालन के संबंध में निर्देश।

विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना वर्ष 2007 से संचालित है। मंत्री परिषद के निर्णय दिनांक 24.12.14 द्वारा प्रदेश की बालिकाओं के लिए वर्तमान में संचालित लाडली लक्ष्मी योजना के पात्र हितग्राहियों को समय पर और सरलतापूर्वक लाभ प्राप्त कराने हेतु वर्तमान में संचालित लाडली लक्ष्मी योजना में आंशिक परिवर्तन किया है। उपरोक्त परिवर्तनों के परिप्रेष्य में इस योजना के संचालन निम्न निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित करें :-

- लाडली लक्ष्मी योजना को पूर्व व्यवस्था पोस्ट आफिस के स्थान पर अब मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि के माध्यम से संचालित किया जायेगा। इस निधि में निम्न स्रोतों से राशि अंतरित की जा सकेगी:-
  - जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा नवीन स्वीकृत प्रकरणों की राशि।
  - संचालनालय/ जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारियों द्वारा योजना अंतर्गत जारी राष्ट्रीय बचत पत्र की परिपक्वता राशि।
  - निधि में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि।
- योजना प्रावधान अनुसार प्रतिवर्ष हितग्राही की संख्या अनुसार निधि में रु. 6000/- प्रति हितग्राही के मान से राशि 5 वर्षों तक राशि जमा की जायेगी।
- जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी जिला स्तर से मांग संख्या 55,41 एवं 64 अर्न्तगत संचालित 5067-लाडली लक्ष्मी योजना के 42 सहायक अनुदान 007 अन्य में प्रावधानित राशि जो कि ग्लोबल बजट अंतर्गत होगी उसका पूर्व की भांति कोषालय में देयक प्रस्तुत कर स्वीकृत प्रकरणों के अनुसार राशि का आहरण करेंगे।
- मांग संख्या 55,41 एवं 64 अर्न्तगत संचालित 5067-लाडली लक्ष्मी योजना के 42 सहायक अनुदान 007 अन्य में प्रावधानित राशि को ग्लोबल बजट अर्न्तगत रखने के कारण बजट आबंटन की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु त्रैमासिक प्रावधान होने के कारण चालू त्रैमास में प्रावधानित राशि से अधिक का आहरण नहीं किया जा सकेगा।

letter 14-15.doc


235



5. कोषालय से राशि का आहरण करते समय देयक में – “मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि, 8448– स्थानीय निधियों की जमा, 120– अन्य निधियाँ, 0120– लाड़ली लक्ष्मी योजना” अंकित कर चालान से राशि निधि में जमा कराई जायेगी।
6. जिला अधिकारी जिला स्तर से निधि में बजट के माध्यम से जमा करने हेतु आहरित की गई राशि (कोषालय व्हाऊचर क्रमांक सहित) तथा निधि में बजट से तथा एन एस सी कि परिपक्वता की जमा की गई राशि (कोषालय से प्राप्त चालान क्रमांक सहित) की जानकारी साफ्टकापी एवं हार्डकापी में तथा लाड़ली लक्ष्मी योजना के मूल्यांकन हेतु तैयार साफ्टवेयर में आनलाईन प्रविष्टि प्रत्येक माह की अंतिम तारीख तक पूर्ण कराते हुए इसकी जानकारी संचालनालय को उपलब्ध करायेंगे।
7. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ऐसी पुरानी एन एस सी जो कि परिपक्व हो गई है उनको जमा करने की सूची राशि सहित तथा कोषालयों से प्राप्त चालानों की मूल प्रतियों एवं हितग्राहियों के नामों की सत्यापित सूची कार्यालय में आडिट हेतु सुरक्षित रखेंगे।
8. बालिका हितग्राही को अंतरिम व अंतिम भुगतान हेतु योजना प्रावधान के अनुसार कक्षा 6वीं में प्रवेश पर रु. 2000/–, कक्षा 9वीं में प्रवेश पर रु.4000/–, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर रु.6000/– व कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रु. 6000/– तथा योजना शर्तें पूर्ण करने पर 21 वर्ष की आयु उपरांत रु. एक लाख की राशि ई– पेमेंट के माध्यम से प्रदान की जावेगी। इस हेतु जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी हितग्राहियों के नाम आनलाईन दर्ज कराते हुए सूची अनुसार संबंधित जिला कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित हितग्राहियों के खातों में ई–पेमेंट के माध्यम से राशि जमा करायेगें। यह राशि “मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि, 8448– स्थानीय निधियों की जमा, 120– अन्य निधियाँ, 0120– लाड़ली लक्ष्मी योजना” से आहरित की जा सकेगी।
9. शर्तों को पूर्ण न करने या बालिका हितग्राही की असामयिक मृत्यु की दशा में या किन्ही कारणों से प्रकरण निरस्त हो जाने पर बालिका को देय समस्त लाभ शासन को समर्पित हो जायेंगे। यदि किसी परिवार की दो बालिकाएँ योजना अंतर्गत हितग्राही हैं व उनमें से किसी एक बालिका की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उत्तरजीवी बालिका को मृत बालिका के समस्त हित लाभ (बालिका की मृत्यु दिनांक ) तक स्थानांतरित हो जायेगे जो बालिका को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर प्राप्त होगा। दूसरी बालिका की भी असामयिक मृत्यु हो जाने की दशा में बालिकाओं के समस्त देय हित लाभ शासन को समर्पित होंगे। अतः ऐसे प्रकरणों की जानकारी आनलाईन दर्ज की जायेंगी तथा साथ ही कलेक्टर की स्वीकृति से यह राशि “मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि, 8448– स्थानीय निधियों की जमा, 120– अन्य निधियाँ, 0120– लाड़ली लक्ष्मी योजना” से आहरित कर उसे शासन हित में चालान से विभागीय जमा शीर्ष 0235–अन्य प्राप्तियों में जमा कराई जायेगी।
10. निधि में बालिका का खाता क्रमांक वही होगा, जो बालिका का पंजीयन क्रमांक है। बालिका के खाते का रखरखाव आनलाईन रखा जावेगा।



11. हितग्राहियों को समय-समय पर प्राप्त भुगतान का लेखा-जोखा रखने का दायित्व संबंधित जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी का होगा, वे कोषालय से संपर्क कर जिला स्तर पर लेखे संधारित करना सुनिश्चित करेंगे तथा हितग्राहियों को प्रदाय की जाने वाली राशि की वेबसाईट में प्रविष्टि करायेंगे।
12. एन.एस.सी. जो परिपक्व हो गई है उनकी सूची निर्धारित प्रपत्र में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा डाउनलोड कर उसे सत्यापित कर जिला डाकघर को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला डाकघर द्वारा परीक्षण उपरांत परिपक्व एन.सी.सी. की राशि को बैंक के माध्यम से निधि में जमा कराये जाने हेतु जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। निधि में जमा की गई राशि की जानकारी व ट्रेजरी चालान नम्बर के साथ प्रतिमाह अंतिम तारीख जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा संचालनालय को उपलब्ध कराई जायेगी।
13. निधि में 31 मार्च को वित्त विभाग द्वारा घोषित ब्याज दर के अनुसार 31 मार्च की स्थिति में निधि में जमा राशि पर ब्याज की गणना कर संचालनालय स्तर से राशि "मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि 8448-स्थानीय निधियों की जमा,120-अन्य निधियां, 0120-लाडली लक्ष्मी योजना" में अंतरित की जायेगी।
14. अंतरिम राशि के भुगतान के लिये शिक्षा विभाग से प्राप्त सूची अनुसार जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन कर सूची अनुसार कलेक्टर की स्वीकृति उपरांत निधि से राशि आहरित की जा सकेगी, जो संबंधित हितग्राही को बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से प्रदाय की जायेगी।
15. लाडली लक्ष्मी योजनान्तर्गत अंतिम राशि के भुगतान के लिये आवेदक द्वारा परियोजना अधिकारी /खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के माध्यम से आवेदन जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे। इस हेतु जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा कलेक्टर की स्वीकृति प्राप्त कर निधि से राशि आहरित करने के उपरांत संबंधित हितग्राही को बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से प्रदाय की जायेगी।
16. लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा की गई राशि, जमा राशि पर प्राप्त ब्याज व हितग्राहियों को समय समय पर प्राप्त भुगतान एवं आहरित राशि का विस्तृत लेखा-जोखा रखने का पूर्ण दायित्व जिला स्तर पर जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं संचालनालय स्तर पर वित्त सलाहकार का होगा।

  
 (जे.एन.कांसोटिया)  
 प्रमुख सचिव,  
 मध्यप्रदेश शासन  
 महिला एवं बाल विकास  
 विभाग


पू.क्र. एफ/

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल
2. मुख्य सचिव के सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल
3. संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, भोपाल
4. संभागायुक्त संभाग मध्यप्रदेश
5. आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवा/महिला सशक्तिकरण भोपाल
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा/संभागीय उप संचालक महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश
8. समस्त कोषालय /उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
9. जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा जिला समस्त मध्यप्रदेश
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा समस्त मध्यप्रदेश
11. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ ।

  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग





**Acknowledgement:** This report is being published as a part of the ACHR’s “National Campaign for elimination of female foeticide in India”, a project funded by the European Commission under the European Instrument for Human Rights and Democracy – the European Union’s programme that aims to promote and support human rights and democracy worldwide. The views expressed are of the Asian Centre for Human Rights, and not of the European Commission.



**ASIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS**

C-3/441-C, Janakpuri, New Delhi 110058 INDIA

Phone/Fax: +91 11 25620583, 45501889

Website: [www.achrweb.org](http://www.achrweb.org)

Email: [director@achrweb.org](mailto:director@achrweb.org)